उत्तरांचल

राज्य विधान सभा के वर्ष 2003 के प्रथम सत्र में

श्री सुदर्शन अग्रवाल

महामहिम राज्यपाल, उत्तरांचल

का

अभिभाषण

देहरादून, शुक्रवार, 28 मार्च, 2003 (चैत्र 07, शक सम्वत् 1925)

उत्तरांचल विधान सभा के वर्ष 2003 के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल श्री सुदर्शन अग्रवाल का अभिभाषण

उत्तरांचल राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल एवं विधान सभा के माननीय सदस्यगण,

उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधान सभा के प्रथम वर्ष में सदन के सुचारू संचालन एवं सकारात्मक प्रयासों के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। उत्तरांचल राज्य अभी अपनी शैशवावस्था में है और यह आवश्यक है कि हम संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ्य परम्परायें स्थापित करने एवं बनाये रखने में एक अग्रणीय राज्य के रूप में अपने को प्रदर्शित कर सकें।

2. मुझे इस बात का भी हर्ष है कि संविधान की मंशा के अनुरूप जनतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए मेरी सरकार द्वारा इस वर्ष स्थानीय नगर निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराये जा चुके हैं। मैं सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। अब हमें यह देखना होगा कि इन संस्थाओं को और स्वावलम्बी एवं सशक्त कैसे बनाया जा सकता है ताकि यह जन–सामान्य के प्रति अपने दायित्व सम्भाल सकें और उनको निभाने के लिए सक्षम हो सकें।

3. उत्तराखण्ड आन्दोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुरोधाओं एवं शहीदों के प्रति नमन व्यक्त करते हुऐ मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि इनके बलिदान को स्मरणीय रखने हेतु गत वर्ष की गयी घोषणा के क्रम में मेरी सरकार द्वारा विभिन्न शहीद स्थलों पर स्मारक विकसित करने के लिए सार्थक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। इस हेतु रामपुर तिराहा (मुजफ्फरनगर) में भूमि की व्यवस्था कर ली गयी है। कलेक्ट्रेट परिसर, देहरादून में दिनॉक 9 नवम्बर, 2002 को शहीद स्मारक का शिलान्यास किया गया और यह निर्माणाधीन है तथा मसूरी एवं खटीमा में भी स्मारक बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। आज भी उत्तरांचल के अनेक वीर सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र के गौरव एवं रक्षा के लिए बलिदान एवं शहादत दे रहे हैं। मैं इन सब वीरों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि एवं नमन व्यक्त करता हूं।

4. इस सदन में गत वर्ष राज्य सरकार ने कहा था कि राज्य का नाम 'उत्तराखण्ड' किये जाने के विषय में प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा। तदनुसार प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन की आवश्यकता के चलते प्रयास जारी रखे जायेंगे।

5. मेरी सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, सम्मान स्वरूप, उन्हें दी जाने वाली पेंशन को रू. 3016 प्रति माह से बढ़ाकर रू. 4000 प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है तथा केन्द्र की भांति राजनीतिक पेंशनधारियों को दिनांक 1.8.2002 से 6 प्रतिशत मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी अनुमन्य करने की कार्यवाही भी प्रस्तावित है।

6. वर्तमान वित्तीय वर्ष 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था, और यह हर्ष का विषय है कि वर्ष 2001–02 के लिए अनुमोदित रू. 1050 करोड़ की वार्षिक योजना के विपरीत इस वर्ष केन्द्रीय योजना आयोग से रू. 1533 करोड़ की वार्षिक योजना का अनुमोदन प्राप्त हो सका। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मेरी सरकार द्वारा इस सत्र में लेखानुदान प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है, चूंकि अभी वर्ष 2003–2004 के लिए वार्षिक योजना का आकार अन्तिम रूप से तय नहीं हो पाया है, और मेरी सरकार की यह मंशा है कि बजट तथा वार्षिक योजना में तालमेल रहना चाहिए ताकि किसी प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न न हों। तथापि पिछले वर्ष की चालू योजनाओं को देखते हुए ऐसा करने से वास्तविक कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और वर्षा से पूर्व के वर्किंग सीजन (Working Season) का लाभ पूर्णतया उठाने के लिए हम सक्षम रहेंगे।

7. वर्ष 2003–2004 की वार्षिक योजना के सम्बन्ध में योजना आयोग को मेरी सरकार द्वारा आवश्यक प्रस्ताव गठित कर भेजा जा चुका है और यह आशा की जा रही है कि माह अप्रैल में इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हो जायेगा। यहां मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि 11वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, और उस पर निर्णय, उत्तरांचल राज्य के गठन से पूर्व आ जाने के कारण अन्य विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त राज्यों की भांति राजस्व घाटा अनुदान आदि के रूप में उत्तरांचल को कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकी थी, और वर्षानुवर्ष हमें केन्द्र सरकार से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के शीर्षस्थ स्तर पर लगातार पत्राचार एवं प्रयास किये गये हैं किन्तु स्थायी आधार पर निदान नहीं हो पाया है। अतः इस वर्ष भी मा. प्रधान मंत्री जी, मा. केन्द्रीय वित्त मंत्री जी एवं मा. उपाध्यक्ष योजना आयोग से पुनः अनुरोध किया गया है कि यथाशीघ्र समुचित अतिरिक्त विशेष

केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जाय ताकि समय अन्दर वार्षिक योजना के आकार के विषय में निर्णय हो सके। इस सम्बन्ध में हमें एकजुट होकर प्रयास करने होंगे।

8. इस बीच 12वे वित्त आयोग का गठन हो चुका है और मेरी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि आयोग के समक्ष राज्य सरकार की ओर से समुचित प्रतिवेदन रखा जा सके ताकि यहां की विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत अपेक्षित वित्तीय संसाधन आयोग के माध्यम से प्राप्त किये जा सके। पूर्व वर्णित समस्याओं के समाधान हेतु हम आयोग से अन्तरिम प्रतिवेदन के लिए भी आग्रह करेंगे।

9. गत वर्ष सरकार द्वारा राज्य के गठन से सम्बन्धित अनिस्तारित मामलों को, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में, समयबद्ध आधार पर निपटाये जाने की बात कही गयी थी। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हुए हैं, यथा तराई बीज एवं विकास निगम का विभाजन, समाज एवं सैनिक कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न निधियों एवं आस्तियो का विभाजन, हरिद्वार स्थित सिंचाई विभाग की परिसम्पत्तियों का उत्तरांचल के पक्ष में हस्तान्तरण आदि। कई अन्य प्रकरण अंतिम चरणों में हैं और आशा की जा सकती है कि यथाशीघ्र इनका भी निस्तारण हो जायेगा। विभिन्न संवर्गों के विभाजन के सम्बन्ध में लगभग एक वर्ष तक रूकी हुई कार्यवाही को आगे बढ़ाने और गति दिये जाने के प्रयास मेरी सरकार द्वारा किये गये हैं। फलस्वरूप प्रादेशिक सिविल सेवा व प्रादेशिक पुलिस सेवा से सम्बन्धित कार्यवाही राज्यों के स्तर से पूर्ण होकर केन्द्र सरकार को अंतिम आदेश हेतु प्रस्ताव भेजा जा चुका है, तथा लगभग 34 विभागों के विषय में पदों के विभाजन पर आपसी सहमति बन जाने के पश्चात कार्मिकों के आवंटन की कार्यवाही गतिमान है। राज्य परामर्शी समिति की अंतिम बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस पूरी कार्यवाही को 30 जून 2003 तक पूरा कर लिया जाय।

10. संवर्ग विभाजन की प्रक्रिया के चलते भी, जहां जहां सम्भव हो सका है, वहां राज्य में विद्यमान रिक्तियों को भरे जाने के प्रयास किये गये हैं, और इस सन्दर्भ में लोक सेवा आयोग में कार्मिकों व अवस्थापना सम्बन्धी कमियों को पूर्ण करने की कार्यवाही भी की गयी है । फलस्वरूप विभिन्न विभागों में आवश्यक पदों पर चयन की कार्यवाही में गति आयी है और अब तक डाक्टरों एवं पशु चिकित्सकों के लगभग 500 पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है । अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं न्यायिक अधिकारियों

के पदों पर भर्ती के लिये परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, और लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति से संबंधित 15 विभागीय पदोन्नति समिति के प्रकरण निस्तारित किये जा चुके हैं। भर्ती प्रकिया में तेजी लाने हेतु श्रेणी 'ग' के कई पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करने का भी निर्णय लिया गया है। पृथक से पुलिस में 2000 कान्सटेबुलों एवं लगभग 250 निरीक्षकों की भर्ती की कार्यवाही भी इस वर्ष सम्पन्न की गयी है। इसके साथ साथ मेरी सरकार द्वारा कार्मिक प्रबन्धन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रूप से ध्यान दिया जा रहा है और राज्य कर्मचारियों के हितों के सम्बन्ध में लगातार संवाद एवं संवेदनशीलता बनाये रखते हुए कार्यवाही के प्रयास किये जा रहे हैं।

11. मेरी सरकार स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में लोकायुक्त अधिनियम लागू करके लोकायुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सतर्कता विभाग का ढांचा भी स्थापित किया जा चुका है। प्रशासन में स्वच्छता लाने तथा विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अलग–अलग विभागों में मान्य संस्थाओं के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करने की व्यवस्थायें भी की गयी है। आगामी वर्ष में तत्सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के भी प्रयास किये जायेंगे।

12. प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा राजकीय कार्य में, तथा सामान्य जनता के लाभ के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ किए गए हैं एवं उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं।

13. राज्य मुख्यालय पर राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं आवास, विधानसभा, तथा सचिवालय में कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य मुख्यालय तथा मण्डलीय एवं जनपद मुख्यालयों के मध्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा स्थापित एवं कियाशील की जा चुकी है। इसके क्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सतत् प्रशिक्षण की कार्यवाही भी की जा रही है। क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक जिला ग्राम्य विकास अभिकरणं तथा विकास खण्ड में कम्प्यूटर व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है।

14. सरकार एवं जनता के बीच संपर्क एवं जनता को लाभान्वित करने वाली सरकारी योजनाओं में उनकी सुविधा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं :–

★ राज्य सरकार द्वारा आई.आई.टी. रूड़की के साथ एम.ओ.यू. किया गया है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में राज्य सरकार से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं से संबंधित फार्मों का डिजिटाइजेशन (digitization) किया जा रहा है, ताकि अन्ततोगत्वा आवेदन एवं स्वीकृति के कार्य इन्टरनेट के माध्यम से सम्भव हो सकें।

★ एक विश्वविख्यात कम्पनी के साथ समझौता ज्ञापन कर विभिन्न कियाकलापों एवं प्रयोजनों के लिये स्मार्ट कार्ड व्यवस्था किये जाने के लिये दो पाइलट योजनाएं प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

★ इसी सन्दर्भ में एक योजना यू.एन.डी.पी. (UNDP) से भी एक स्वीकृत कराई गई है, जिसका क्रियान्वयन आई.आई.टी. रूड़की के माध्यम से किया जा रहा है।

★ उक्त के अतिरिक्त कई विशिष्ट कियाक्षेत्रों यथा, कोषागारों व भूमि हस्तान्तरण, आदि में कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा चुका है, और अन्य कियाओं, यथा राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, परिवहन से सम्बन्धित विभिन्न कियाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्राम्य विकास, शहरी विकास, समाज कल्याण, आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

15. सरकारी काम–काज में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के अतिरिक्त, आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में राज्य के युवावर्ग में इस अति महत्वपूर्ण क्षेत्र के सन्दर्भ में क्षमता एवं दक्षता के विकास के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना "आरोही" प्रारम्भ की गयी है। यह गर्व का विषय है कि विश्व विख्यात सूचना प्रौद्योगिकी संस्था "माइक्रोसाफ्ट" के अध्यक्ष बिल गेट्स ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भेंट के बाद देश के लिये घोषित "शिक्षा" परियोजना का शुभारम्भ केरल के साथ–साथ उत्तरांचल से करने का निर्णय लिया। इस कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन भी किया जा चुका है। इसके

अन्तर्गत उनके साफ्टवेयर एवं उत्पादों को हिन्दी भाषा में विकसित करने के लिये देश में प्रथम प्रयोगशाला भी उत्तरांचल में स्थापित की जा रही है।

16. शिक्षा के क्षेत्र में मेरी सरकार ने माइक्रोसाफ्ट के अतिरिक्त अन्य विख्यात सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों यथा, "इण्टेल" (INTEL) व "सिस्को" (CISCO) के साथ भी एम.ओ.यू. किये गये हैं। इनके अन्तर्गतः

★ राज्य के प्रत्येक इण्टरमीडिएट कालेज में कम्प्यूटर शिक्षा के लिये पूरी व्यवस्था की जा रही है। चयनित शिक्षकों को मास्टर प्रशिक्षक/प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिनके द्वारा बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा दी जायेगी, और इन्टेल/माइक्रोसाफ्ट द्वारा इसका प्रमाणीकरण किया जायेगा। इस वर्ष के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत सभी इन्टरमीडिएट कालेजों में कम्प्यूटर व्यवस्था स्थापित कर दी जायेगी।

★ सिस्को के साथ करार के अन्तर्गत उच्च स्तरीय नेटवर्किंग प्रोफेशनल (Networking Professional) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये पन्तनगर अभियन्त्रण महाविद्यालय में एक क्षेत्रीय अकादमी तथा कुमाऊँ एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय एवं अभियन्त्रण महाविद्यालयों आदि को सम्मिलित करते हुए 10 स्थानों पर स्थानीय अकादमियाँ स्थापित की जा रही हैं।

★ उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं, यथा एन.आई.आई.टी., ऐप्टैक आदि, के विभिन्न उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम, जो बहुत मंहगे होते हैं, को तुलनात्मक रूप से बहुत कम फीस पर छात्रों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालयों, में ख्याति प्राप्त संस्थाओं को अपने कम्प्यूटर स्थापित करने व कोर्स संचालन की सुविधा दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त देहरादून में एक साफ्टवेयर टैक्नालाजी पार्क की स्थापना पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। अन्य बातों के साथ-साथ, इन सब योजनाओं के माध्यम से हमारे युवावर्ग में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

17. मेरी सरकार द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र में यह कहा गया था कि राज्य की नीतियों एवं प्रबन्धन व्यवस्था का एक मुख्य केन्द्र बिन्दु यह होगा कि राज्य में अधिक से

अधिक रोजगार एवं आय के श्रोतों का सृजन किया जा सके। इसके क्रम में विभिन्न दिशाओं में पहल की गयी है। सभी विभागों को यह निर्देश दिये गये हैं कि उनके कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध हो सकने वाले विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसरों की समीक्षा इस प्रकार की जाय कि, एक ओर, राज्य में विद्यमान स्थिति का सही आंकलन हो सके तथा, दूसरी ओर, ऐसी योजनाएं चिन्हित की जा सके, जिनके माध्यम से सर्वाधिक रोजगार अवसर सृजित हो सकते हैं, योजनावार/विभागवार रोजगार के लक्ष्य निर्धारित किये जा सकें, तथा उनके कम में क्षमता विकास के सार्थक प्रयास किये जा सकें। इसके साथ साथ, प्रथम बार राज्य के युवा वर्ग को राज्य के अन्दर एवं बाहर विभिन्न क्रिया क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकने वाले रोजगार के अवसरों की जानकारी देने के लिए भी कार्य प्रारम्भ किया गया है, और अब विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों कों कैरियर गाइडैन्स एवं काउन्सिलिंग (Career Guidance and Counselling) केन्द्रों के रूप में विकसित करने एवं विभिन्न माध्यमों से लगातार रोजगार के अवसरों की सूचनाएं उपलब्ध कराने की संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में कार्यवाही भी प्रारम्भ की जा चुकी है। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि रोजगार के अवसर मुख्यतः स्वरोजगार एवं निजी सैक्टर निवेश के माध्यम से स्थापित आर्थिक गतिविधियों द्वारा ही प्राप्त हो सकेंगे। अतः मेरी सरकार का यह प्रयास है कि विभिन्न सैक्टरों में अधिक से अधिक ऐसी परियोजनाएं एवं योजनाएं बनायी जायें, जिनसे राज्य के सकल घरेलू आय में वृद्धि के साथ साथ राज्य में लोगों के लिये आय एवं रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो सके।

18. इसी सन्दर्भ में संस्थागत वित्त पोषण, तथा ऋण जमा अनुपात, में उल्लेखनीय वृद्धि किये जाने पर विशेष बल दिया गया है। इस सम्बन्ध में 5 उच्च स्तरीय बैठकें माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गयी है और इनमें बैंकों के माध्यम से उत्पादक योजनाओं के लिए वित्त पोषण बढ़ाये जाने पर विशेष बल दिया गया है। इन प्रयासों के चलते निश्चित ही यह आशा की जा सकती है कि इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति होगी।

19. मैं राज्य सरकार को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उनके निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहनों का पैकेज इस वर्ष 7 जनवरी 2003 को हमें प्राप्त हो सका। इस हेतु मैं, इस सदन के माध्यम से, माननीय प्रधान मंत्री जी एवं केन्द्र सरकार के प्रति राज्य की जनता की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं।

इस पैकेज में विभिन्न श्रेणी के उद्योगों को 10 वर्ष के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से शत–प्रतिशत छूट, आयकर से 5 वर्षों के लिए शत–प्रतिशत और इसके पश्चात 25 से 30 प्रतिशत छूट तथा पूंजीगत लागत में 15 प्रतिशत और अधिक से अधिक रू. 30 लाख तक के अनुदान की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं में भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी इसके कम में राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों के चिन्हीकरण की कार्यवाही लगभग पूरी कर ली गयी है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के स्तर से उपलब्ध करायी जा सकने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में विभिन्न औद्योगिक संगठनों आदि के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया है और बहुत जल्द मेरी सरकार द्वारा राज्य की नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की जायेगी। आशा है कि इस सबके क्रम में राज्य में आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसरों के सृजन की दिशा में उल्लेखनीय सहायता मिलेगी।

20. मेरी सरकार द्वारा राज्य सरकार की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों, तथा दुरूह, छोटी छोटी एवं छितरी हुई आबादियों के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं की कमी को दूर करने पर विशेष बल दिया गया है। भूमण्डलीकरण, वैश्वीकरण एवं अनिवार्य आर्थिक सुधारों के युग में राष्ट्रीय स्तर पर भी यह प्रयास किये जा रहे हैं कि इस प्रकार की सुविधाओं के विकास के लिए अधिक से अधिक संस्थागत एवं निजी सैक्टर निवेश प्राप्त किया जा सके। यह देखते हुए कि उत्तरांचल का अधिकांश भाग पर्वतीय है, ऐसी सम्भावनाएं, विशेषकर पर्वतीय मार्गों के सन्दर्भ में, तुलनात्मक रूप से सीमित हैं और हमें राज्य के बजट के माध्यम से बृहद स्तर पर संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। राज्य की योजना एवं बजट बनाते समय इस बात पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

21. फिर भी अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना के लिए परियोजनाओं के चिन्हीकरण एवं विकास के उद्देश्य से ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय संस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फांइनेन्स कम्पनी (Infrastructure Development Finance Company - IDFC) के साथ मिलकर एक संयुक्त उपकम, यू–डेक (U-Dec) की स्थापना की गयी है। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार के उपक्रम की स्थापना, अथवा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं, कतिपय अन्य प्रगतिशील राज्यों यथा कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में भी की गयी है और उनके माध्यम से अवस्थापना से सम्बन्धित विभिन्न बड़ी परियोजनाओं का चिन्हीकरण करके उनके कियान्वयन हेतु वित्त पोषण एवं तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त की जा सकी है। उत्तरांचल में भी एक्सप्रेस वे (Express way),

हवाई–अड्डे (Airport), विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones), आदि से सम्बन्धित परियोजनाओं के चिन्हीकरण एवं विकास के लिए इस संयुक्त उपक्रम के माध्यम से कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

22. मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि पूर्व में की गयी घोषणा के क्रम में प्रत्येक जनपद के लिए सड़क मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है और अब इसे विभिन्न राज्य स्तरीय एवं केन्द्रीय योजनाओं के सन्दर्भ में एक कार्य योजना का रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है, ताकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्राथमिकताएं सुनिश्चित हो सके और योजनाबद्ध ढंग से उनके कियान्वयन की दिशा में कार्यवाही सम्भव हो सके। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा लगातार यह प्रयास किये जा रहे हैं कि विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत अधिक से अधिक सहायता प्राप्त की जा सके, और बाह्य श्रोतों से वित्त पोषण के लिए भी रू. 500 करोड़ का एक परियोजना प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका हैं।

23. वर्षों से अधूरे पड़े विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में प्राथमिकीकरण किया जा रहा है ताकि इन्हें योजनाबद्ध ढंग से पूर्ण करने की कार्यवाही सम्पन्न हो सके। अवशेष मार्गों एवं सेतुओं के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए, तथा नये पुलों एवं मार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु नाबार्ड से भी वित्त पोषण प्राप्त किया जा रहा है और इस वर्ष रू. 55 करोड़ के वित्त पोषण की सहमति नाबांर्ड द्वारा दी जा चुकी है। महत्वपूर्ण कच्चे मार्गों को लेपन स्तर पर पक्का करने हेतु लगभग रू. 240 करोड़ लागत के कार्यों की स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है। स्थानीय प्राथमिकताओं के सन्दर्भ में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए रू. 1.00 करोड़ लागत के मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण हेतु भी स्वीकृति जारी कर दी गयी हैं और इनमें से अनेक योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। मार्गों एवं सेतुओं के अनुरक्षण के लिए भी लगभग रू. 48 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त लगभग रू. 131 करोड़ के कार्य प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैं एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है।

24. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, निर्माण प्रकिया को पारदर्शी बनाने तथा निर्माण में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निविदादाताओं (ठेकेदारों) के वर्गीकरण एवं निविदा प्रकिया के पुर्ननिरीक्षण एवं युक्तिकरण की कार्यवाही की गयी है, और आई.आई.टी एवं सी.बी.आर.आई. जैसी ख्याति प्राप्त तकनीकी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करने हेतु अनुबन्ध भी किये गये हैं। मार्गों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के

उद्देश्य से मार्ग निर्माण के पश्चात एक निश्चित अवधि तक अनुरक्षण का उत्तरदायित्व ठेकेदारों पर ही रखे जाने की व्यवस्था के विषय में भी विचार किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय ठेकेदारों में क्षमता विकास की दिशा में कार्यवाही हेतु बैंकों आदि से विचार किया गया है और इस सम्बन्ध में एक निश्चित योजना बना कर कार्यवाही की जायेगी।

25. राज्य में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं युक्तिसंगत बनाने हेतु मेरी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राज्य में एक अलग परिवहन निगम गठित करने का निर्णय लिया जा चुका है और इसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से संबंधित औपचारिकताएं भी पूर्ण की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की उत्तरांचल में स्थित आस्तियों के हस्तान्तरण की कार्यवाही अंतिम चरण में है और यह आशा की जाती है कि यथाशीघ्र निगम क्रियाशील हो जायेगा। पृथक राज्य के गठन के सन्दर्भ में उत्तरांचल राज्य का अपना कराधान सुधार अधिनियम पारित करने का निर्णय भी लिया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत कतिपय टैक्स की दरों में युक्तिकरण एवं राहत के प्राविधान, तथा उत्तरांचल राज्य परिवहन दुर्घटना राहत निधि की स्थापना प्रस्तावित है। इस बीच पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न आकार के वाहनों के मंजिली परमिटों के तहत संचालन के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों के मार्गों के सर्वेक्षण एव चिन्हीकरण की कार्यवाही भी गतिमान है। मार्गों पर गति नियंत्रण एवं अन्य यातायात नियंत्रण कार्यों के लिए 3 आधुनिक यंत्रों से युक्त इन्टरसैप्टर (interceptor) वाहन भी प्राप्त कर सक्रिय किये गये हैं।

26. मेरी सरकार द्वारा राज्य में उपलब्ध विद्युत उत्पादन की सम्भावनाओं के दृष्टिगत 5 वर्षों में 3000 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया था। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि टिहरी बांध परियोजना– प्रथम एवं द्वितीय चरण, कोटेश्वर बांध, धौली गंगा, मनेरी भाली (द्वितीय चरण) तथा विष्णु प्रयाग एवं श्रीनगर परियोजनाओं के माध्यम से 10वीं पंचवर्षीय योजना में 3700 मेगावाट क्षमता का विकास होगा। इसके अतिरिक्त इस अवधि में कुल लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के विकास पर भी कार्य प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं का विकास उत्तरांचल जल विद्युत निगम, विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं यथा एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी. एवं टी.एच.डी.सी. तथा निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से प्रस्तावित है। उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा वर्ष 2003–04 में पाला मनेरी (416 मेगावाट) परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है,

तथा इसके पश्चात अगले वर्षों में बवाला नन्द प्रयाग, आराकोट त्यूनी, त्यूनी पलासू तथा कुछ अन्य लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर चरणबद्ध ढंग से कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

27. 100 मेगावाट तक क्षमता की परियोजनाओं की निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से स्थापना के लिए मेरी सरकार द्वारा विस्तृत नीति प्रसारित की जा चुकी है। प्रथम चरण में लगभग 100 मेगावाट क्षमता की छः परियोजनाओं के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, और इसके क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। इसी नीति के तहत राज्य के गठन के पूर्व से विचाराधीन 21 परियोजनाओं के संबंध में प्रस्तावकों के साथ भी अनुबन्ध किए जा चुके हैं।

28. राज्य में लगभग 3000 विद्युत विहीन ग्रामों का प्रत्येक जनपद में चिन्हीकरण किया जा चुका है और इनमें उत्तरांचल विद्युत निगम तथा वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतों (ऐसे गांवों में, जिन्हें ग्रिड से जोड़ना सम्भव नहीं है) के माध्यम से वर्ष 2007 तक ऊर्जा/विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक वर्ष विद्युतीकरण के लिए ग्रामों का चयन जिला स्तर पर करते हुए भारत सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) के अन्तर्गत अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजन हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से भी लगभग रू0 160 करोड़ के वित्तपोषण की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। वर्ष 2002–03 के लिए पूर्व निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाकर 800 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 196 ग्रामों में वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतों के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी। बढ़े हुए लक्ष्य को माह जून 2003 तक पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है।

29. मुझे यह अवगत कराते हुए विशेष हर्ष है कि मेरी सरकार द्वारा बन्द पड़ी कुटीर ज्योति योजना को राज्य में पुनः सक्रिय किया गया है और 40 हजार कनैक्शनों के लिए रू. 7.2 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गयी है।

30. उत्तरांचल विद्युत निगम द्वारा पूरे प्रदेश में सभी वितरण सब–स्टेशनों पर 24 घन्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है । स्थानीय स्तर पर लाईनों में ओवर लोडिंग एवं अन्य कारणों से आपात कालीन कटौती की सम्भावनाएं दूर करने के लिए वृहद स्तर पर नये उप केन्द्रों की स्थापना तथा विद्यमान उप केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त पूरे राज्य में अपनी सुदृढ़ पारेषण ग्रिड स्थापित करने के लिए नाबार्ड एवं बाह्य सहायता श्रोतों से वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए भी प्रस्ताव गठित किये जा चुके है।

31. विद्युत चोरी रोकने, पारेषण क्षति को नियंत्रित करने एवं आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु भारत सरकार की त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार योजना (ए.पी.डी.आर.पी.) के माध्यम से विशेष प्रयास कर इस वर्ष लगभग रू. 100 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है (वर्ष 2000–01 में स्वीकृत रू. 4.80 करोड़ की तुलना में)। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से रू. 360 करोड़ की योजना पर अनुमोदन मिल चुका है।

32. राज्य मे एकल सदस्यीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर इसे क्रियाशील किया जा चुका है।

33. प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व की टिहरी बहु उद्देशीय परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। इस परियोजना से सम्बन्धित पुनर्वास का कार्य राज्य सरकार द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर लगातार समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जा रहा है तथा केन्द्र सरकार के साथ भी निकट समन्वय रखा जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रभावित व्यक्तियों के समुचित पुनर्वास का कार्य समय अन्दर सम्पन्न किया जा सके। पुनर्वास के लिए विस्थापितों को विभिन्न स्थानों पर आवंटित की गयी भूमि (वन भूमि को छोड़ते हुए), जो कि पूर्व में पट्टे पर दी गयी थी, पर भूमिधरी अधिकार दिये जाने का निर्णय भी सरकार द्वारा लिया गया है।

34. राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुनियोजित आधार पर संचालित/विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थापित/निर्माणाधीन विभिन्न कार्यो को सूचीबद्ध कराया गया है और पारदर्शिता तथा सत्यापन के उद्देश्य से सूचियां समस्त जनपदों तथा जन–प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी गयी है। इस सूचना के आधार पर विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के आच्छादन क्षेत्र के युक्तिकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, और विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जा रहा है। सिचाई से सम्बन्धित लघु एवं मध्यम परियोजनाओं के रख रखाव तथा बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यो पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत केन्द्र सरकार की "त्वरित सिंचाई लाभ योजना" (AIBP) के अन्तर्गत सतही जल के अधिकाधिक उपयोग के लिए पहली बार

स्वीकृति प्राप्त की गयी है तथा नलकूपों द्वारा भूगर्भीय जल संसाधनों के दोहन के लिए नाबार्ड (NABARD) से भी ऋण स्वीकृत कराया गया है।

35. लघु सिंचाई क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर हाईड्रमों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय की तकनीकी हस्तान्तरण एवं विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त की गयी और इस सम्बन्ध में सुनियोजित ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

36. राज्य सरकार के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार के प्रबन्धन के अधीन जनपद हरिद्वार में कुम्भ क्षेत्र से सम्बन्धित परिसम्पत्तियां उत्तरांचल सरकार को हस्तान्तरित कर दी गयी हैं। शेष के सम्बन्ध में दोनों प्रदेशों के बीच विचार–विमर्श चल रहा है। आशा है यह प्रकरण शीघ्र निर्णित हो जायेंगे।

37. राज्य में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा पूर्व में की गयी घोषणा के अनुसार संस्थागत ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये है। गढ़वाल एवं कुमाऊं जल संस्थान का संविलियन कर "उत्तरांचल जल संस्थान" एवं राज्य के लिए एक पृथक "उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम" का गठन किया जा चुका है।

38. राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत किये गये सर्वेक्षण एवं मानकों के अनुसार राज्य में स्थित कुल 31008 ग्रामीण बस्तियों में से 1 अप्रैल 2002 को 107 असेवित, व 908 आंशिक सेवित बस्तियां पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अवशेष थी। इस वर्ष 47 असेवित एवं 240 आंशिक असेवित बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। मेरी सरकार द्वारा पेयजल व्यवस्था के विषय में गहन समीक्षा की गयी और पाया गया कि यद्यपि मानकों के अनुसार अधिकांश बस्तियां आच्छादित हो चुकी हैं, विभिन्न अन्य कारणों, यथा जल श्रोतों के श्राव में कमी होने, पर्याप्त अनुरक्षण न होने, आदि, के कारण पूर्व में आच्छादित अनेक क्षेत्रों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा पुनः विस्तृत सर्वेक्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में अनेक शहरी क्षेत्रों में पेयजल एवं जलोत्सारण की व्यवस्था हेतु पिछले वर्षो में पर्याप्त निवेश नहीं हुआ है। अतः इस दिशा में भी विशेष ध्यान देते हुए प्रयास किये जा रहे हैं।

39. इस वर्ष माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण नई पेयजल परियोजना "स्वजलधारा", के शुभारम्भ की घोषणा की है। इसमें महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि पेयजल परियोजनाएं समुदाय की पूर्ण सहभागिता के साथ बनायी जाय, जिसमें आंशिक वित्तीय अंशदान भी समुदाय द्वारा दिया जाय और अन्ततोगत्वा उनका संचालन एवं रख रखाव भी समुदाय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाय।

40 उत्तरांचल राज्य में विद्यमान स्थिति के दृष्टिगत यह अनुमान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित पेयजल व्यवस्था के लिए लगभग रू. 800–1000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय भारत सरकार के पेयजल मंत्रालय से औसतन मात्र रू. 30-35 करोड़ प्रति वर्ष ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिए प्राप्त हो पा रहे है। इस पृष्ठभूमि में, तथा राज्य के अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत, यह आवश्यक है कि वैकल्पिक श्रोतों से अधिक से अधिक धनराशि जुटाई जा सके। इस परिप्रेक्ष्य मे राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को "स्वजलधारा" परियोजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की प्रतिबद्धता सूचित की जा चुकी है। पृथक से "स्वजल" परियोजना, जो वर्ष 2003 में समाप्त हो जायेगी, के फौलो–आन प्रोजेक्ट (follow-on) के रूप में, 2500 ग्रामों को आच्छादित करने के लिए रू. 500 करोड का परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को विश्व बैंक से वित्त पोषण हेतु भेजा गया था । इस पर अब भारत सरकार एवं विश्व बैंक की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त कर ली गयी है, और आशा है कि निकट भविष्य में विश्व बैंक का मिशन उत्तरांचल आयेगा। "स्वजल" एवं "स्वजलधारा" परियोजना की भांति इस परियोजना में भी समुदाय एवं पंचायत संस्थाओं की सहभागिता से परियोजनायें स्थापित की जा सकेंगी।

41. उपरोक्त पृष्ठभूमि में "स्वजलधारा" एवं प्रस्तावित "स्वजल–द्वितीय चरण" परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जाने वाली संस्थागत व्यवस्थाओं आदि के विषय में परीक्षण किया जा रहा है। इस अति महत्वपूर्ण कार्य में राज्य मे जन सामान्य एवं सभी दलों का पूरा सहयोग एवं योगदान आवश्यक होगा।

42. जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के विशेष महत्व को देखते हुए, राज्य में जलागम आधारित नियोजन, वाटर हार्वेस्टिंग एवं जल संरक्षण के लिए निश्चित योजना तैयार करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट एवं संस्तुतियों के क्रम में राज्य में उपलब्ध सभी श्रोतों का विस्तृत ब्यौरा समयबद्ध आधार पर

संकलित किया जा रहा है, ताकि इनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्यवाही की जा सके, और गांववार न्यूनतम मूल्य पर स्थायी पेयजल व्यवस्था के नियोजन में भी मदद मिल सके। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम भी योजनाबद्ध ढंग से चलाये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इस हेतु विभिन्न जलागम एवं भूमि विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत मात्राकरण के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्य के कतिपय पर्वतीय क्षेत्रों में भी हैण्ड पम्पस के सफल प्रयोग से प्रेरित होकर गत वर्ष में इस हेतु दी गयी धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2002–03 में इस हेतु और अधिक धनराशि उपलब्ध करायी गयी ।

43. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तरांचल की विकट भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत मेरी सरकार द्वारा हर जिले में बेस चिकित्सालय तथा तहसील स्तर पर 50 शैय्यायुक्त चिकित्सालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में श्रीनगर (पौड़ी), हल्द्वानी (नैनीताल) तथा अल्मोड़ा में बेस चिकित्सालय कार्यरत हैं। लक्ष्य के अनुरूप चरणवद्ध ढंग से 3 वर्षों में 7 जिला चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण, तथा 3 नये जनपदों, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत में जिला चिकित्सालयों की स्थापना प्रस्तावित है। यहां एक महत्वपूर्ण बिन्दु इन विभिन्न चिकित्सालयों में अतिरिक्त विशेषज्ञ एवं विशेषज्ञताएं (specialities) उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित है, जिनका चिन्हीकरण किया जा चुका है और वर्ष 2003–04 में पदों के सृजन की कार्यवाही प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कतिपय चिकित्सालयों में विशिष्ट उपकरणों की भी व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में विश्वबैंक सहायतित उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत लगभग रू. 5 करोड़ की लागत से दून चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय देहरादून का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इस वर्ष जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत के भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है तथा बागेश्वर में जिला चिकित्सालय का निर्माण विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से कराया जा रहा है। जहां तक तहसील स्तर पर चिकित्सालयों का प्रश्न है, वर्तमान में 32 तहसील मुख्यालयों में जिला चिकित्सालय, बेस चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं। 17 तहसील मुख्यालयों में चिकित्सालयों को चरणवद्ध तरीके से उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव है, जो 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा 2 तहसील स्तरीय एलोपैथिक डिस्पेन्सरियों के उच्चीकरण के माध्यम से किया जायेगा। वर्ष 2002–03 में 6 तहसील स्तरीय प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण की कार्यवाही की गयी, 3 तहसील मुख्यालयों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन हैं और 2 तहसील स्तरीय डिस्पैन्सरियों के उच्चीकरण हेतु इसी वर्ष में स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

44. हल्द्वानी में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत रही है। इस दिशा में वर्तमान वर्ष में त्वरित कार्यवाही की गयी है और वन ट्रस्ट चिकित्सालय, हल्द्वानी का विस्तार करते हुए इसमें 300 शैय्याओं तथा लैक्चर हाल (Lecture Hall), लैब (Lab) आदि की व्यवस्थायें की जा चुकी हैं और मेडिकल कालेज के प्राचार्य, आचार्य एवं प्रवक्ताओं आदि की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है और उनकी रिपोर्ट के अनुसार आगे कार्यवाही गतिमान है। यहां मुझे कहते हुए हर्ष है कि मेरी सरकार द्वारा श्रीनगर (पौड़ी) में भी मेडिकल कालेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और इसके क्रम में वर्तमान अस्पताल के विस्तारीकरण व अन्य सुविधाओं के विकास के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

45. विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों, यथा क्षय नियंत्रण, कुष्ठ निवारण, एड्स नियंत्रण एवं अंन्धता निवारण, के सफल संचालन हेतु समस्त जनपदों में शीर्षस्थ समितियों का गठन किया जा चुका है, और सभी कार्यक्रमों का केन्द्र सरकार के साथ निकट ताल–मेल रखते हुए सूक्ष्म अनुश्रवण किया जा रहा है। अभी तक क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम राज्य के मात्र 2 जनपदों में ही चल रहा था। अब राज्य के सभी जनपदों में इसे लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो गया है। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जन जागरण का कार्य किया जा रहा है। सुरक्षित रक्त प्रदान करने के लिए 11 जिला चिकित्सालयों तथा 6 भारत सरकार की चिकित्सा संस्थाओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं में सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एक स्टेट आफ द आर्ट माडल ब्लड बैंक (State of the Art Model Blood Bank) की स्थापना तथा 4 स्थानों पर ब्लड बैंक की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। इनमें से बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी में ब्लड बैंक क्रियाशील किया जा चुका है।

46. राज्य में चिकित्सकों की गम्भीर कमी रही है, विशेषकर दूर–दराज क्षेत्रों में। इस समस्या के निदान के लिए 148 चिकित्सक संविदा पर ऐसे क्षेत्रों में तैनात किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 300 से अधिक महिला एवं पुरुष चिकित्सकों के चयन के पश्चात लगभग 145 चिकित्सकों द्वारा योगदान दिया जा चुका है। दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती हेतु चिकित्सकों को

प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ी हुई दरों पर प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (N.P.A.) देने का निर्णय भी लिया गया है। राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञों की भर्ती सुनिश्चित करने हेतु नियमावली बनाकर इस हेतु पृथक संवर्गीय एवं पदों की व्यवस्था की जा रही है।

47. इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों में सचल सेवाओं की व्यवस्था भी की जा रही है। केन्द्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पोषित गैर सरकारी संस्था टाईफैक (TIFAC) के माध्यम से कुमाऊं तथा गढ़वाल में एक-एक बहु उद्देशीय सचल डायग्नोस्टिक वाहन की सुविधा स्थापित करने की सहमति के क्रम में महामहिम भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा इस सेवा का शुभारम्भ इस वर्ष अल्मोड़ा में किया गया। यूरोपियन कमीशन के माध्यम से भी सचल बहु उद्देशीय इकाईयां उपलब्ध कराये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त की जा चुकी है।

48. पूर्व में की गयी घोषणा के क्रम में राज्य में टेली-मेडिसन (Tele Medicine) सेवाएं स्थापित करने की दिशा में भी मेरी सरकार द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद दो पाइलट परियोजनाओं के प्रस्ताव गठित किये जा चुके हैं, और इन पर वर्ष 2003-04 में कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

49. उत्तरांचल के 33 बड़े राजकीय चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से उनके प्रबन्धन हेतु संबंधित जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में पंजीकृत चिकित्सा प्रबन्धन समितियों के गठन की कार्यवाही भी की जा रही है, जिनमें स्थानीय जन प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे।

50. मेरी सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों के गम्भीर जीवन घातक बीमारियों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ इलाज के लिए सहायता दिए जाने हेतु माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में "उत्तरांचल राज्य ब्याधि सहायता निधि प्रबन्धन समिति" का गठन भी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है।

51. मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि उत्तरांचल राष्ट्र में पहला ऐसा राज्य है, जहां एक समेकित जनसंख्या एवं स्वास्थ्य नीति गठित की गयी है। इसके लिए मैं सरकार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। अन्य बातों के साथ साथ इसके अन्तर्गत आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के सुनियोजित विकास एवं उन्हें आधुनिक चिकित्सा प्रणाली

के साथ जोड़े जाने पर बल दिया गया है। इसके कम में अन्य गतिविधियों के साथ साथ जड़ी बूटियों के विकास एवं प्रसार के लिए बनायी गयी रणनीति के साथ निकट समन्वय रखते हुए कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान वर्ष में आयुर्वेदिक महाविद्यालय में संकाय व सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है तथा राज्य में आयुर्वेदिक विश्व विद्यालय की स्थापना के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

52. शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में पूर्व से ही काफी विस्तृत ढांचा विद्यमान है। मेरी सरकार की यह प्राथमिकता है कि इसमें विद्यमान कमियों को पूरा करते हुए इसे और सुदृढ़ किया जाये और शिक्षा की गुणवत्ता में उच्चीकरण एवं सुधार लाया जा सके।

53. प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत नये विद्यालय भवनों के निर्माण, वर्तमान भवनों के विस्तारीकरण एवं उच्चीकरण, विद्यालयों में पेयजल व स्वच्छता से सम्बन्धित सुविधाएं स्थापित करने व शिक्षा के स्तर में उन्नयन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिनके सम्बन्ध में विश्व बैंक तथा भारत सरकार ने भी राज्य में किये गये प्रयासों की सराहना की है। इसके अतिरिक्त राज्य के बजट सें भी लगभग 600 माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

54. मेरी सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है — यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश राज्यों में यह व्यवस्था केवल कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिये उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त स्कूलों में ड्राप आउट (drop out) दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी मिड–डे–मील (Mid-day Meal) योजना का व्यापक स्तर पर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। अभी तक इस योजना के अन्तर्गत मात्र सूखा राशन उपलब्ध कराया जाता था, जिससे वांछित उद्देश्य की पूर्ति न होने के साथ साथ अनुश्रवण में भी कठिनाई होती थी। वर्ष 2002–03 में प्रत्येक जनपद में 2 विकास खण्डों में पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था स्थापित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी, और वर्ष 2003–04 में यह व्यवस्था पूरे प्रदश में स्थापित की जायेगी। इस योजना के संचालन में पोषाहार योजनाओं के साथ निकट समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिये गये हैं और इस प्रकार व्यवस्था की गयी है कि ग्राम स्तर की समितियों द्वारा इसका संचालन एवं पर्यवेक्षण किया जाय।

55. मेरी सरकार द्वारा गत वर्ष प्रतिभावान छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रत्येक जनपद में एक–एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना किये जाने की घोषणा की गयी थी। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि जनपद देहरादून में 9 नवम्बर 2002 को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की आधारशिला रखी जा चुकी है और अब इस पंचवर्षीय योजना काल में चरणबद्ध तरीके से अन्य जनपदों में भी राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना की जायेगी।

56. उच्च शिक्षा क्षेत्र में पूर्व में की गयी घोषणा के अनुसार महाविद्यालय स्तर तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। इसके साथ साथ राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों के प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध करने हेतु महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अधिकृत करते हुए निर्देश जारी किये गये हैं।

57. उत्तरांचल की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के चलते यह अनुभव किया गया है कि जहां, एक ओर, लगातार दूरस्थ क्षेत्रों में महाविद्यालय खोले जाने की मांग रहती हैं, वहीं संसाधनों की कमी, सक्षम अध्यापकों की अनुपलब्धता एवं पर्याप्त संख्या में छात्र उपलब्ध न होने से उत्पन्न वाइबिलिटी (viability) की समस्या के चलते ऐसे महाविद्यालयों में पर्याप्त गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है। अतः मेरी सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में एक एक महाविद्यालय को, छात्रावास सम्मिलित करते हुए सभी सुविधाओं से युक्त, उत्कृष्टता के केन्द्र (Centre of Excellence) के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में चरणबद्ध ढंग से कार्यवाही 2003–04 में प्रारम्भ की जायेगी।

58. राज्य में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त रहने की समस्या रही है। रिक्त पदों को भरने के लिए काफी प्रारम्भिक कार्यवाही की जा चुकी है, और वर्ष 2003–04 में विभिन्न स्तरों के लगभग 6000 हजार पदों पर नियुक्तियाँ/चयन किए जाने का प्रस्ताव है।

59. प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पालीटैक्निकों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मूलभूत अवस्थापना सुविधा व उपकरण उपलब्ध करा कर सुदृढ़ करने की दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, और उपकरणों के लिए इस वर्ष रू. 1.65 करोड़ उपलब्ध कराये गये हैं। इस वर्ष रामनगर तथा मसूरी में दो नये आई.टी.आई. भी स्थापित किये गये है। विभिन्न संस्थानों में प्रचलित पाठ्यकमों को अद्यतन करने तथा आधुनिक रोजगार बाजार के सन्दर्भ में नये पाठ्यकम प्रारम्भ करने की दिशा में भी कार्यवाही की गयी है। इसके कम में

राज्य की कतिपय पालीटैक्निक संस्थाओं एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सूचना तकनीकी, कम्प्यूटर साइन्स एवं इन्जीनियरिंग, तथा पर्यटन एवं होटल व्यवसाय से सम्बन्धित नये रोजगारपरक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। साथ साथ तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को और रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से चिन्हित शिक्षण संस्थाओं में इन्स्टीट्यूट मैनेजमेन्ट कमेटी (Institute Management Committee) की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है जिससे इन संस्थाओं एवं ओद्योगिक संस्थानों के मध्य निकट सम्बन्ध एवं समन्वय स्थापित हो सके। इस सम्बन्ध में एक राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी का गठन भी किया गया हैं। संस्थानों में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों एवं नियोजकों को आमंत्रित कर कैम्पस साक्षात्कार आयोजित करने की कार्यवाही भी की जा रही है।

60. प्रदेश में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उच्च गुणवत्ता के रोजगारपरक एवं विशिष्ट पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरी सरकार निजी सैक्टर के माध्यम से विश्व विद्यालय स्तर के संस्थानों की स्थापना को भी प्रोत्साहित करना चाहती है। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि कई विख्यात संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर इस समय विचार विमर्श हो रहा है, और आशा है इस दिशा में शीघ्र सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे.

61. राज्य में विद्यमान जैविक एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। पूर्व में की गयी घोषणा के क्रम में मेरी सरकार द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में, तथा विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया जा चुका है और इसके माध्यम से राज्य की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में विभिन्न प्रौद्योगिकी मिशन (Technology Missions) चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ साथ केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी निकट समन्वय स्थापित किया गया है ताकि केन्द्रीय योजनाओं का भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

62. जैव प्रौद्योगिकी (Bio Technology) के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के साथ गहन विचार विमर्श के उपरान्त तैयार किया गया है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए एक पूर्णकालिक विशेषज्ञ की नियुक्ति भी की जा चुकी है। इस हेतु वर्ष 2003–04 में आवश्यक वित्तीय व्यवस्था भी की जायेगी और यह आशा की जा

रही है कि नये औद्योगिक पैकेज के चलते हम इस दिशा में हम उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त कर सकेंगे।

63. राज्य में, और विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में, छितरी हुई जोतों का अधिक उत्पादक उपयोग सम्भव करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक आधार पर चकबन्दी कराने की दिशा में कार्यवाही करने की घोषणा पूर्व में की गयी थी। इस सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श एवं अध्ययन हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा विषय का अध्ययन किया जा रहा है। आशा है कि इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र व्यवहारिक निर्णय सम्भव हो सकेगा। पृथक से किसानों के किया कलापों को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित करने के उद्देश्य से किसान जोत बहियाँ एवं किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख 46 हजार किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके है। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि इस वर्ष फसल बीमा योजना भी प्रदेश में गेहूँ की फसल के लिए लागू की जा चुकी है। वर्ष 2003-04 में इसके अन्तर्गत धान की फसल को भी आच्छादित किया जायेगा और चरणबद्ध आधार पर अन्य फसलें भी इसके दायरे में लायी जायेंगी। कृषकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के सम्बन्ध में निरन्तर संवाद एवं परामर्श प्राप्त करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कृषक मित्र परिषद की भी स्थापना भी की जा चुकी है।

64. मेरी सरकार द्वारा कृषि कार्यों में और लाभदेयता एवं उत्पादकता लाये जाने के उद्देश्य से कृषि विविधीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य में अभी तक 12 विकास खण्डों में विश्व बैंक पोषित कृषि विविधीकरण परियोजना का संचालन किया जा रहा था। इस वर्ष प्रयास करके 15 अतिरिक्त विकास खण्डों में इसका विस्तार किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत कृषि एवं औद्यानिकी की नकदी एवं अच्छी आय देने वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, तथा कृषि उत्पादों के विपणन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं, यथा ग्रामीण सम्पर्क मार्ग व ग्रामीण हाठ पैठ का निर्माण तथा आधुनिक कृषि विधियों के प्रसार की कार्यवाही कृषक समूहों की सहभागिता के आधार पर की जा रही है। कृषि के अतिरिक्त इससे जुड़ी हुई अन्य कियाओं, यथा पशु पालन, दुग्ध उत्पादन, रेशम उत्पादन, आदि, से सम्बन्धित कियायें भी इस परियोजना के अन्तर्गत संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त बारानी खेती के विकास हेतु राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी राज्य के 72 विकास खण्डों में कार्य किया जा रहा है। इसमें भी विविधीकृत कृषि

तथा, इसके सन्दर्भ में, कृषि हेतु जल एवं मृदा संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

65. राज्य की परम्परागत फसलों, यथा रामदाना, राजमा, गहत, उगल, मडुआ, झिगोरा, आदि की उन्नत प्रजातियों के विकास तथा जनक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पन्तनगर कृषि विश्व विद्यालय एवं विवेकानन्द पर्वतीय कृषि शोध संस्थान, अल्मोड़ा के सहयोग से कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत जनक बीज प्राप्त कर उनके संवर्धन की कार्यवाही राजकीय प्रक्षेत्रों में करते हुए कृषकों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अन्तर्गत लगभग 368 ग्रामों को बीज ग्राम के रूप में विकसित करने की कार्यवाही भी की जा रही है।

66. पर्वतीय क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग सीमित रहा है। इस स्थिति का उपयोग करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा दिये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। केन्द्र पोषित मैको मोड योजना एवं तकनीकी हस्तान्तरण एवं विकास योजना (टी.टी.डी.सी.) के अन्तर्गत इस समय 200 से अधिक ग्रामों में जैविक खेती एवं जैव उर्वरक उत्पादन, जिसके लिए, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध बायो–मास पत्तियों व झाड़ियों का भी उपयोग किया जाता है, का सघन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस हेतु लगभग सभी विकास खण्डों में मास्टर ट्रेनर भी प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जहां एक ओर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी वहीं काश्तकारों को उनकी उपज के लिए अपेक्षाकृत अधिक मूल्य भी मिल सकेगा। इस परिप्रेक्ष्य में जैविक उर्वरकों एवं जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से की जा रही है, जिसके लिए केन्द्र सरकार से भी आवश्यक पंजीकरण एवं अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही गतिमान है।

67. प्रदेश के सभी जनपदों में केन्द्र पोषित विशेष दलहन एवं तिलहन कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत अच्छी प्रजातियों के बीजों, कृषि यंत्रों, प्रशिक्षण तथा प्रचार–प्रसार की व्यवस्था व तकनीकी प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है।

68. कृषि उत्पादों के सुचारू विपणन हेतु मंडी समितियों के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है, तथा किसानों को पूरे देश के बाजार भावों से अवगत कराने के उद्देश्य से 10 प्रमुख मंडियों में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करके एग्री–नेट व्यवस्था की जा रही है। कृषि उत्पादों के लिए समुचित परिवहन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से मंडी क्षेत्रों में मार्ग

विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, तथा दुर्गम स्थानों पर रज्जू मार्ग (रोप–वे) स्थापित किये जाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

69. उत्तरांचल राज्य में इस समय मात्र 2 जनपदों में कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं। राज्य सरकार का यह प्रस्ताव था कि 9 ऐसे जनपदों, जहां कृषि अनुसंधान एवं तत्सम्बन्धी प्रसार की समुचित व्यवस्था नहीं है, वहां भी कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जायें। लगातार प्रयासों के फलस्वरूप 4 केन्द्रों की स्थापना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदन दिया जा चुका है।

70. उत्तरांचल के कृषि उत्पादों में गन्ने का महत्वपूर्ण स्थान है किन्तु राज्य में स्थापित 10 चीनी मिलों के लिए गन्ने की उपलब्धता हेतु हमें अभी भी उत्तर प्रदेश पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है। अतः मेरी सरकार द्वारा इस हेतु एक दीर्घकालीन व्यवस्था करने तथा राज्य के अन्तर्गत गन्ने के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने की बात गत वर्ष कही गयी थी। इसके क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन किया जा चुका है। इसके साथ साथ उचित प्रजातियों के विकास हेतु चीनी मिल वार पंचवर्षीय बीज बदलाव की कार्य योजना तैयार की जा चुकी है, जिसमें प्रचलित 30–32 प्रजातियों का युक्तिकरण करते हुए उत्पादकता बढ़ाये जाने का मुख्य उद्देश्य है। इस हेतु, आवश्यकतानुसार, बाह्य श्रोतों से भी अच्छी प्रजातियों की रोपण सामग्री आयात की जायेगी। अच्छी प्रजाति के बीज व पौध उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पन्तनगर कृषि विश्व विद्यालय के माध्यम से काशीपुर गन्ना शोध केन्द्र में टिशु कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा गठित चीनी विकास फण्ड से वित्त पोषण का प्रस्ताव भी भेजा गया है और आशा है कि शीघ्र ही इस पर स्वीकृति मिल जायेगी।

71. राज्य में स्थापित सहकारी एवं निगम की 6 मिलों का सुचारू संचालन एवं निकट अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर चीनी मुख्यालय की स्थापना की गयी है और लगातार सभी मिलों व गन्ना क्रय केन्द्रों आदि के निरीक्षण एवं समीक्षा की कार्यवाही की जा रही है। फलस्वरूप इस वर्ष लगभग सभी मिलों में गत वर्ष की तुलना में लगभग 1 प्रतिशत अधिक रिकवरी प्राप्त करने में सफलता मिली है। मुझे यह बताते हुए भी हर्ष है कि वर्ष 2001–02 के सत्र में देय कुल गन्ना मूल्य रू. 442.5 करोड़ का भुगतान किया जा चुका

है और इस वर्ष अग्रिम के रूप में काश्तकारों को गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।

72. उत्तरांचल में औद्यानिकी क्षेत्र का राज्य के आर्थिक विकास में अति महत्वपूर्ण स्थान है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में फलों एवं सब्जियों के अधीन क्षेत्रफल में लगभग 50 हजार हैक्टर विस्तार करने की योजना है और इसके लिए विभिन्न परियोजनाएं गठित करके भारत सरकार की मैको मैंनेजमेंट योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु भी भेजी गयी है। इसमें बेमौसमी सब्जी एवं मसालों आदि की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार की कार्यवाही भी सम्मिलित है।

73. इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य में उत्पादित होने वाले फल, फूल एवं सब्जी उत्पादों के विपणन की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। एक स्तर पर राज्य के रामनगर एवं देहरादून क्षेत्रों को लीची एक्सपोर्ट जोन, देहरादून एवं पन्तनगर क्षेत्रों को फ्लोरीकल्चर एक्सपोर्ट जोन तथा देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर को बासमती एक्सपोर्ट ज़ोन के रूप में घोषित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त की गयी है। दूसरी ओर, मदर डेरी की फ्रूट एवं वैजिटेबिल परियोजना के अन्तर्गत विपणन की व्यवस्था की जा रही है, जिसके क्रम में वर्ष 2002–03 में लगभग रू. 2.38 लाख किलोग्राम सब्जी एवं फलों की रू. 2 करोड़ से अधिक मूल्य पर सीधे दिल्ली की मण्डियों में बिक्री सुनिश्चित करायी गयी। इस पूरी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य में फल एवं सब्जी उत्पादकों के एसोशिएशन एवं फेडरेशन भी गठित किए गए हैं।

74. राज्य में विभिन्न औद्यानिकी फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री व तकनीकी विधियों का प्रसार भी योजनाबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराया जा रहा है। इस वर्ष अमेरिका से उन्नत सेब प्रजातियों की रोपण सामग्री आयातित करके चौबटिया एवं रानीचौरी में इसका रोपण किया गया है। इसके अतिरिक्त अलाभकारी राजकीय उद्यानों में से 5 उद्यानों को तकनीकी, विपणन एवं प्रसार केन्द्रों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ख्याति–प्राप्त विशेषज्ञ संस्थाओं एवं कम्पनियों के साथ अनुबन्ध किए गए हैं। इसी के साथ–साथ 27 राजकीय उद्यानों को विभिन्न प्रजातियों के लिए उत्कृष्टता के केन्द्रों के रूप में विकसित करने हेतु निश्चित कार्य योजनाएं बनायी जा रही है।

75. पर्वतीय क्षेत्रों में जड़ी, बूटियों तथा हर्बल एवं औषधीय पेड़–पौधों की विभिन्न किस्मों का विशाल भण्डार उपलब्ध है। पिछले वर्षों में इस बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा का दोहन एवं विकास सुनियोजित ढंग से नहीं हो सका था। मेरी सरकार द्वारा पूर्व में की गयी घोषणा के

अनुसार इस हेतु एक बहु–आयामी कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित औषधि पादप बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत आगामी 5 वर्षों में लगभग 1000 हैक्टर क्षेत्र में, विभिन्न संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के मध्य समन्वय रखते हुए, जड़ी बूटियों का कृषिकरण किया जायेगा, 100 हैक्टेयर में हर्बल गार्डन्स की स्थापना की जायेगी, 800 पौधालय स्थापित किए जायेंगे तथा एक हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रस्तावित पौधालयों में से लगभग 75 प्रतिशत पौधालय वन विभाग की भूमि पर स्थापित किए जायेंगे, जिसके सम्बन्ध में वन नीति में भी प्राथमिकता दी गयी है और एक विस्तृत कार्ययोजना भी बनायी जा चुकी है। मुझे यह भी बताते हुए हर्ष है कि मेरी सरकार द्वारा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल एवं देहरादून को मेडिसिनल प्लान्ट एक्सपोर्ट ज़ोन के रूप में घोषित करने के लिए भारत सरकार की अनुमति प्राप्त की गयी है। अब जनपद ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार को भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित कराने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

76. औद्यानिकी से संबंधित कतिपय अन्य क्षेत्रों, यथा रेशम और चाय के विकास एवं खेती की दिशा में भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। रेशम के क्षेत्र में शहतूत पर आधारित कीट पालन के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में बांझ पर आधारित टसर के उत्पादन एवं विकास पर भी बल दिया गया है और अच्छे परिणाम प्राप्त होने शुरू हो गये हैं। विभाग द्वारा स्वयं तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के साथ मिलकर चलायी जा रही अन्य योजनाओं के अतिरिक्त रू. 22 करोड़ का एक अन्य परियोजना प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। चाय विकास कार्यक्रम को गति देने के लिए इस वर्ष, अन्य कार्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर की चाय कम्पनियों एवं विशेषज्ञों के साथ सेमीनार आयोजित किया गया, तथा एक बड़ी मार्केटिंग कम्पनी के माध्यम से उत्तरांचल चाय को राष्ट्रीय बाजार में लान्च किया गया।

77 गत वर्ष इस सदन में अवगत कराया गया था कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के भरसार क्षेत्र में औद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है और यथाशीघ्र एक हार्टी बिजनेस कोर्स प्रारम्भ करने के प्रयास किए जायेंगे। महाविद्यालय के निर्माण कार्य में काफी प्रगति आयी है तथा इसके लिए पदों का सृजन भी किया जा चुका है, और आगामी शिक्षा सत्र में 3 वर्षीय उद्यान विज्ञान का स्नातक कोर्स प्रारम्भ किया जायेगा। इसके प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की

कक्षाएं पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के हिल कैम्पस रानीचौरी में संचालित की जायेंगी तथा अन्तिम वर्ष में छात्र औद्यानिकी महाविद्यालय भरसार में स्थानान्तरित कर दिए जायेंगे।

78. रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए रखे गये महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं की विशेष भूमिका है। इस सम्बन्ध में राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं यथा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों को, स्वयं सहायता समूहों के रूप में गठित कर, लाभान्वित करने की कार्यवाही की जा रही है। उत्तरांचल में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की गयी है और अब तक 13610 समूहों का गठन किया जा चुका है जिसमें से 4655 समूहों को प्रथम ग्रेडिंग के पश्चात रू. 25 हजार प्रति समूह का रिवाल्विंग फण्ड (Revolving Fund) उपलब्ध कराया जा चुका है। इन समूहों को सशक्त करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर इन्हें फेडरेशन के रूप में संगठित करने की कार्यवाही भी की जा रही है तथा इनके उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से राज्य में 53 विपणन केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके सापेक्ष 7 विपणन केन्द्रों पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ऐसे समूहों की आर्थिक गतिविधियों के लिए रू. 5 लाख तक के ऋणों के मामलों में स्टाम्प ड्यूटी से छूट भी दी गयी है।

79. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशिष्ट परियोजनाएं भी तैयार करके भारत सरकार को भेजी गयी हैं, ताकि सम्बन्धित आर्थिक कियाओं के लिए समुचित बैकवर्ड एण्ड फारवर्ड लिंकेजेज (backward and forward linkages) स्थापित की जा सकें। ऐसे प्रस्तावों के सापेक्ष जैविक खाद उत्पादन, मशरूम उत्पादन, अंगोरा खरगोश पालन, कुक्कुट पालन तथा शिल्प इम्पोरियम की स्थापना से सम्बन्धित परियोजनाओं पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। प्रत्येक जनपद में पॉली हाउसों के माध्यम से गैर–मौसमी सब्जियों व अन्य उत्पादों के विकास के लिए भी योजना तैयार करायी जा रही है। प्रारम्भ की गयी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 75 हजार लोगों को स्व–रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

80. मेरी सरकार द्वारा किये गये एक अभिनव प्रयास के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह के स्वरोजगारियों के लिए 5 वर्ष की बीमा योजना भी प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत मृत्यु

की दशा में 1लाख तथा दुर्घटना में अपतंगता की दशा में रू. 50000 के भुगतान की व्यवस्था है।

81. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत रू0 58.00 प्रतिदिन नकद एवं खाद्यान्नों के रूप में मजदूरी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण से सम्बन्धित कार्यों में रोजगार दिया जा रहा है। इस योजना में अब तक लगभग 57.82 लाख मानव दिवस सृजित किये गये और 39282 मैट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है। अन्य कार्यों के अतिरिक्त इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के परम्परागत जल श्रोतों के जीर्णोद्वार एवं जल संग्रहण की विभिन्न परियोजनाएं, जैसे चालो–खालों का निर्माण, लिये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

82. गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने के लिए भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गये हैं। इनके अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 17250 इन्दिरा आवासों के निर्माण के सापेक्ष 7146 आवास निर्मित हो चुके हैं तथा शेष आवास निर्माणाधीन हैं। भू–स्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए 5 हजार अतिरिक्त इन्दिरा आवासों के निर्माण का अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त किया गया था, जिसके सापेक्ष 1803 आवास निर्मित हो चुके हैं तथा शेष निर्माणाधीन हैं।

83. काफी समय से गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों के पुनर्सर्वेक्षण की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इस सम्बन्ध में अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी।

84. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं आय के अवसरों के सृजन के सन्दर्भ में पशुपालन कियाओं का विशेष महत्व है। अतः मेरी सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत पशुपालन से संबंधित इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निम्न अन्य परियोजनाएं चलायी जा रही हैं/प्रस्तावित की गयी हैं:–

- ★ केन्द्र सरकार को पशु नस्ल सुधार व पशु चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से रू. 18 करोड़ की एक कैटल एवं बफैलो परियोजना भेजी गयी थी, जिसके सापेक्ष केन्द्र सरकार द्वारा रू. 6.5 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है

और इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में लगभग 150 उन्नत नस्ल के सांड उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ, सीमेन बैंकों के सुदृढ़ीकरण, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्हें सचल बनाने व चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की कार्यवाही की जा रही है।

★ स्वर्णजयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रू. 9.5 करोड़ की कुरोलियर कुक्कुट पालन परियोजना की स्वीकृति भी भारत सरकार से प्राप्त कर ली गयी है, जिसके अन्तर्गत 2 मदर फार्म– रूद्रपुर एवं पशुलोक–ऋषीकेश में स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कट इकाइयों की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

★ रू. 6.83 करोड़ की समेकित भेड़ एवं ऊन विकास परियोजना अखिल भारतीय ऊन विकास परिषद को भेजी गयी है और आशा की जा रही है कि इसकी स्वीकृति इस वर्ष मिल जायेगी।

★ समेकित डेरी विकास परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों पर दुग्ध संग्रह एवं कूलिंग क्षमता के विकास, दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, दुग्ध समितियों के सुदृढ़ीकरण आदि के लिए रू. 19.11 करोड़ की परियोजना केन्द्र सरकार को भेजी गयी थी, जिसके सापेक्ष इस वर्ष रू. 4.76 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और योजना का क्रियान्वयन गतिमान है।

★ उत्तरांचल में विद्यमान जल संसाधनों की उपलब्धता एवं इसके परिप्रेक्ष्य में मत्स्य विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए मेरी सरकार द्वारा पूर्व में की गयी घोषणा के अनुसार एक समेकित मत्स्य नीति घोषित की जा चुकी है। इसी के क्रम में राज्य में अपना मत्स्य अधिनियम भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

85. ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सहकारिता एक सशक्त माध्यम प्रदान करता है। अतः राज्य में सहकारी गतिविधियों में व्यापकता एवं सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पूर्व में की गयी घोषणा के अनुसार विस्तृत एवं गहन अध्ययन के उपरान्त राज्य में अपना सहकारी समितियॉ अधिनियम तथा स्वायत्त सहकारिता अधिनियम गठित किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। इनका उद्देश्य यह है कि स्वच्छ एवं स्वायत्त सहकारिता को प्रोत्साहित किया जा सके और विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में सहकारिता

को एक सशक्त क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन व्यवस्था के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की सहायता से विभिन्न जनपदों में समेकित सहकारिता विकास परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस समय यह परियोजना हरिद्वार एवं चमोली में क्रियान्वित हो रही है। इस वर्ष पिथौरागढ़ के लिए भी स्वीकृति मिल चुकी है, तथा अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल एवं देहरादून में भी परियोजना लागू करने के लिए सैद्धान्तिक सहमति मिल चुकी है। प्रत्येक जनपद की परियोजना के अन्तर्गत लगभग रू. 5.50 से रू. 6.00 करोड़ के निवेश के माध्यम से प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों आदि को अंशपूँजी व अन्य रूप में सहायता उपलब्ध कराके सुदृढ़ करने और सहकारी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की कार्यवाही की जाती है। राज्य में शीर्ष स्तरीय सहकारी बैंक की स्थापना से संबंधित सभी कार्यवाही की जा चुकी है और पूर्ण कालिक प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भी की जा चुकी है। रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के माध्यम से कार्य प्रारम्भ कराने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने की कार्यवाही अन्तिम चरणों में है और यथाशीघ्र बैंक के क्रियाशील होने की आशा की जा सकती है।

86. जैसा पूर्व ही कहा गया, इस वर्ष राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनावों का कार्य सम्पन्न कराया जा चुका है और अगले कुछ दिनों में यह संस्थायें गठित हो जायेंगी। वित्तीय संसाधनों के रूप में इन संस्थाओं को मुख्यतः धनराशि राज्य वित्त आयोग तथा 11वें केन्द्रीय वित आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में उपलब्ध करायी जाती हैं। केन्द्रीय वित्त आयोग से उपलब्ध होने वाली लगभग रू. 30 करोड़ प्रति वर्ष की धनराशि के सापेक्ष पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 25 प्रतिशत मैचिंग योगदान दिये जाने का प्राविधान है। मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 25 प्रतिशत मैचिंग योगदान राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करा दिया जाय। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा यह भी विचार किया जा रहा है कि इस प्रकार उपलब्ध हो सकने वाली धनराशि का कुछ निश्चित अंश चिन्हित प्राथमिकता वाले कार्यों, यथा पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं रख रखाव, आदि, के लिए मात्राकृत कर दिया जाय।

87. राज्य का लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्रफल वन क्षेत्र होने के परिप्रेक्ष्य में मेरी सरकार ने यह निश्चय किया कि इसका 20 प्रतिशत क्षेत्रफल सामुदायिक नियंत्रण एवं प्रबन्धन में लाया जाये। राज्य में इस समय 7000 वन पंचायतें गठित हैं, और 1217 ग्रामों में संयुक्त वन प्रबन्धन समितियां गठित की गयी हैं। नई वन पंचायतों का गठन एक अभियान के रूप में

किया जा रहा है। इसके कम में सिविल सोयम एवं वन पंचायत क्षेत्रों में वनीकरण का कार्य सीधे उक्त संस्थाओं के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधिक से अधिक वन पंचायतें महिला पंचायतों के रूप में गठित करने के प्रयास किये जा रहे हैं, और नियमों मे यह व्यवस्था कर दी गयी है कि सामान्यतः वन पंचायतों के 9 सदस्यों में से कम से कम 4 महिलाएं होंगी।

88. व्यावसायिक वनीकरण के सन्दर्भ में वनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 3 उच्च तकनीकी पर आधारित पौधालयों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें क्लोनल विधि से पौधे उगाने का कार्य किया जायेगा। इस विधि से यूकेलिप्टस व शीशम का प्रयोगात्मक आधार पर 700 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण किया जा चुका है।

89 इसके अतिरिक्त वन क्षेत्रों में समाज के लिए तथा लघु उद्योगों के विकास हेतु लाभकारी नान–टिम्बर प्रजातियों, यथा बांस, रिंगाल, चारा घास, तथा वानस्पतिक रेशा प्रजातियां, आदि के रोपण पर विशेष बल दिया जा रहा है। बांस एवं रिंगाल के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र भी स्थापित किया गया है और इस वर्ष 4 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

90. प्रदेश में जड़ी–बूटियों तथा औषधि एवं सुगन्ध पौधों के संरक्षण एवं प्रसार के लिए वन विभाग द्वारा विशेष कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है। इसके कम में इस वर्ष लगभग 350 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधि प्रजातियों का रोपण किया गया है।

91. राज्य में विद्यमान विभिन्न राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षित क्षेत्रों के सन्दर्भ में वन जीव संरक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी विशेष व्यवस्थायें की गयी है। इनमें एलीफैन्ट कारिडर की स्थापना के लिए कार्यवाही, विद्युत तार बाड़, प्रभावी गश्त एवं इस हेतु संसाधनों की उपलब्धता, और सम्बन्धित कर्मियों को शस्त्र, वायरलैस उपकरण, दूरबीन, हाई–एल्टीट्यूड किट (High Altitude Kit), जैकेट, जूते, आदि उपलब्ध कराया जाना सम्मिलित हैं। राज्य की जीव विविधता के संरक्षण के लिए पंजीकृत सोसाइटी के रूप में एक बायो–कंजरवेशन प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय भी लिया गया है।

92. राज्य भर में फैले हुए वन क्षेत्र के कारण विभिन्न निर्माण कार्यों में आने वाली कठिनाईयों के दृष्टिगत वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृतियों के प्रकरणों में गति एवं

समयबद्धता लाये जाने के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं। फलस्वरूप इस वर्ष अब तक 206 मार्गों, 214 पेयजल योजनाओं, 16 सिंचाई योजनाओं, 6 विद्युत पारेषण लाईनों, 14 जल विद्युत परियोजनाओं, 6 खनन योजनाओं, और 168 अन्य प्रस्तावों पर स्वीकृतियां निर्गत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गोडावर्मन केस में पारित आदेशों के क्रम में पूववर्ती उत्तर प्रदेश द्वारा दी गयी वनों की परिभाषा का भी जनहित में पुनरावलोकन किया जा रहा है।

93. एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अन्तर्गत वन निधि स्थापित की जा रही है, ताकि वन विश्राम गृहों एवं वन मार्गों, आदि, के रख रखाव के लिए और अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें। पृथक से, चिन्हित वन विश्राम गृहों को व्यावसायिक प्रबन्धन के आधार पर सीधे पर्यटन कियाओं से जोड़े जाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

94. उत्तरांचल में पर्यावरण के संरक्षण हेतु आम लोगें में जागरूकता लाने की विशेष आवश्यकता है। इसके लिए सभी दलों, वर्गों एवं पूरे समुदाय को एक जुट होकर एक अभियान के रूप में कार्य करना होगा। यहां हमारी प्राकृतिक धरोहर के, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, संरक्षण के अतिरिक्त शहरों में बढ़ते प्रदूषण और सामान्य रूप से प्लास्टिक व अन्य प्रकार के अवशेषों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन करके कियाशील किया जा चुका है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण की दिशा में प्रारम्भिक तौर पर बैटरी चालित वाहनों को व्यापार कर एवं मार्ग कर से छूट भी प्रदान की गयी हैं। आगे आने वाले समय में इस महत्वपूर्ण विषय में और सार्थक प्रयास भी किये जायेंगे।

95. मैं औद्योगिक विकास क्षेत्र के विषय में पूर्व ही उल्लेख कर चुका हूं। मेरी सरकार द्वारा पूर्व में की गयी घोषणा के अनुसार राज्य में एक बहु उद्देशीय निगम सिडकुल (SIDCUL) का गठन किया जा चुका है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अन्य इस प्रकार के निगमों से हट कर इसमें विभिन्न अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं यथा, स्माल इन्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट बैंक (SIDBI), आई.सी.आई.सी.आई. (ICICI), एल.आई.सी. (LIC) आदि, जैसी संस्थाओं से निगम की अंशपूंजी में निवेश की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिससे, एक ओर, यह निगम सर्वथा प्रोफेशनल संस्था के रूप में कार्य कर सकेगा और दूसरी ओर राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थाओं से औद्योगिक विकास की प्रकिया को और अधिक मदद मिलने की आशा भी होगी। निगम द्वारा

नये औद्योगिक पैकेज के सन्दर्भ में विभिन्न सम्भावित निवेशकों आदि के साथ सम्पर्क एवं विचार विमर्श प्रारम्भ कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पैकेज की घोषणा के बाद लगभग 150 उद्यमियों द्वारा राज्य में इकाईयाँ स्थापित करने में रूचि प्रदर्शित की गयी है।

96. मुझे यह बताते हुए भी हर्ष है कि वर्षों से जनपद पौड़ी (कोटद्वार) में ग्रोथ सेन्टर स्थापित करने के आलंबित प्रस्ताव पर मेरी सरकार के लगातार सतत प्रयासों के फलस्वरूप, भारत सरकार के स्तर पर गठित समिति द्वारा संस्तुति की जा चुकी है, और आशा है कि इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार का औपचारिक अनुमोदन भी शीघ्र प्राप्त हो जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत रू. 15 करोड़ का वित्त पोषण अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए उपलब्ध हो सकेगा।

97. उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण उद्योगों और हस्त शिल्प क्षेत्र के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसके क्रम में वर्षों से अक्रियाशील पड़े ऊन एवं अन्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को पुनः क्रियाशील करने की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गयी है। राज्य में एक क्राफ्ट डिजाइन सेन्टर की स्थापना हेतु केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से एक परियोजना रिपोर्ट राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के माध्यम से तैयार करायी जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र की स्थापना के अतिरिक्त राज्य में हस्तशिल्प उद्योग के नियोजित एवं समेकित विकास के लिए दिशा एवं कार्य योजना तैयार करने में भी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त विपणन के लिए संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत राज्य में लगभग रू. 2 करोड़ के निवेश से एक अरबन हाट की स्थापना की स्वीकृति भी प्राप्त की गयी है और इस परियोजना की रिपोर्ट ख्याति प्राप्त संस्थान इनटैक (INTACH) द्वारा तैयार की जा रही है।

98. मेरी सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग क्रियाओं को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दे रही है। इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व में गठित सलाहकार बोर्ड को खादी बोर्ड अधिनियम का उपान्तरण करके पुनर्गठित किया गया है ताकि खादी कमीशन से संबंधित परियोजनाओं का पूर्ण लाभ उठाया जा सके। इस वर्ष मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत भी गतवर्ष की तुलना में अधिक इकाइयों को लाभान्वित किया गया है और इस हेतु खादी कमीशन से लगातार सम्पर्क करके और अधिक सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व कई वर्षों से पड़े हुए पुराने

स्टाक का भी निस्तारण किया गया तथा गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी कपड़ों आदि पर छूट की योजना को इस वर्ष 90 दिनों के स्थान पर खादी कमीशन के परामर्श के अनुसार 108 दिन के लिए लागू किया गया। खादी बोर्ड की ऊनं से संबंधित खरीद एवं प्रसंस्करण कियाओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि इस वर्ष की गयी।

99. राज्य में जो उद्योग रूग्ण एवं बन्दी के कगार पर हैं, उनके पुनर्जीवीकरण के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से प्रयासरत है। इस संबंध में राज्य स्तरीय अन्तर–संस्थागत समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों तथा उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है। इसके कम में जिला स्तर पर बैंकर्स, उद्यमी एवं जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी बैठकर रूग्ण इकाइयों हेतु पुनर्जीवीकरण पैकेज बनाने का प्रयत्न करेंगे तथा इस कार्यवाही की समीक्षा जिला उद्योग मित्र एवं राज्य स्तरीय उद्योग मित्र में भी की जायेगी।

100. खनन क्षेत्र में नियोजित ढंग से कार्यवाही किए जाने के उद्देश्य से उप खनिज पदार्थों के खदान–चुगान से संबंधित नीति का पुनरीक्षण करके संशोधित नीति प्रख्यापित की जा चुकी है। उप खनिज बाहुल्य क्षेत्रों के विस्तृत सर्वेक्षण एवं मानचित्रीकरण का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है, जिससे अपरिहार्य भाटक निर्धारण एवं चुगान कियाओं के आवश्यक विनियमन एवं नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष खनन से लगभग 25 प्रतिशत अधिक आय प्राप्त हुई है। उप खनिजों के अतिरिक्त राज्य की अन्य खनिज सम्पदा के विकास एवं उस पर आधारित उद्योगों की स्थापना के विषय में नियोजित रूप से कार्यवाही करने के उद्देश्य से एक सलाहकार समूह गठित किया गया है।

101. पर्यटन क्षेत्र में राज्य में विद्यमान सम्भावनाओं को साकार करने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा इस वर्ष अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये, जिनके फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य की पर्यटन जगत में अपनी विशेष पहचान बनाने में उल्लेखनीय मदद मिली है। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि अनुमानों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पर्यटकों के आगमन में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

102. केन्द्र सरकार द्वारा भी राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना करते हुए उत्तरांचल में विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहमति व्यक्त की गयी है। इनमें राज्य में एक राष्ट्रीय होटल प्रबन्धन एवं कैटरिंग संस्थान की स्थापना, अल्मोड़ा में उदय शंकर

संगीत एवं नृत्य अकादमी की स्थापना (जिसका शिलान्यास महामहिम भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा किया जा चुका है), पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर गुफा क्षेत्र का विकास, जागेश्वर मंदिर काम्पलैक्स का विकास, फूलों की घाटी क्षेत्र का ईको–पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास तथा हरिद्वार–ऋषिकेश में सौन्दर्यीकरण कार्यों से सम्बन्धित परियोजनाएं सम्मिलित है। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप लगभग रू. 95 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी परियोजना नैनीताल जनपद की झीलों के पुनर्जीवीकरण एवं विकास के लिए केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय झील संरक्षण निदेशालय द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित की जा चुकी है और आशा है कि यथाशीघ्र इस सम्बन्ध में औपचारिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जायेगी। अलग से देहरादून में सर्वे आफ इण्डिया परिसर में लगभग 55 एकड़ क्षेत्र में एक "पार्क आफ द ग्रेट आर्क" (Park of the Great Arc) विकसित करने की स्वीकृति भी प्राप्त की गयी है, और इसका शिलान्यास 9 नवम्बर 2002 को किया गया। मैं इस सबके लिए किये गये प्रयासों हेतु राज्य सरकार को बधाई देने के साथ साथ केन्द्र सरकार के प्रति राज्य की ओर से आभार व्यक्त करता हूं।

103. गुजरे वर्ष में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं मास्टर प्लान गठित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है। हेमपुर (जनपद ऊधमसिंह नगर) में विशाल पर्यटन काम्पलैक्स, दयारा बुग्याल (जनपद उत्तरकाशी) में एक बृहद शीत क्रीडा काम्पलैक्ट, मसूरी के निकट पूर्ववर्ती खनिज निगम की बन्द खदान क्षेत्र में रिसोर्ट परियोजना, तथा उत्तरांचल में ट्रेक मार्गों के विकास के लिए परियोजना रिपोर्ट एवं मास्टर प्लान तैयार कराये जा चुके हैं, और इन परियोजनाओं पर वर्ष 2003–2004 में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

104. इसके अतिरिक्त चार धाम यात्रा से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं की स्थापना के लिए भी मास्टर प्लान तैयार कराया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत रू. 133 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया है। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित पर्यटन सर्किटों के विकास की योजना के अन्तर्गत चार धाम यात्रा सर्किट को भी सम्मिलित करने की घोषणा की गई है, और इसके क्रम में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। वर्ष 2003–04 में विभिन्न आवश्यक कार्यों से सम्बन्धित निर्माण कार्य चरणबद्ध ढंग से प्रारम्भ किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त यात्रा मार्गों पर लगभग 65 स्थान मार्गीय सुविधाओं के विकास के लिए चिन्हित किये गये हैं, और इनके विकास के लिए सी.बी.आर.आई. के सहयोग से योजनाएं बनाई जा रही है।

105. इस बीच श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति का पुनर्गठन किया गया है, तथा एक उच्च स्तरीय चार धाम बोर्ड वर्तमान माननीय केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार का यह विशेष प्रयास होगा कि मुख्य धामों से सम्बन्धित अनेक अन्य मंदिर, जिन पर अब तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, का भी सुनियोजित विकास सम्भव हो सके। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य तीर्थ स्थलों, यथा पूर्णागिरी, आदि में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास की कार्यवाही भी की जायेगी।

106. बहुत समय से महसूस की जा रही आवश्यकता के अनुरूप राज्य में वैकल्पिक पर्यटन गन्तव्यों के विकास की दिशा में भी सार्थक पहल करते हुए, लैन्सडाउन– पौड़ी–खिरसू तथा पिथौरागढ़–मुनस्यारी पर्यटन सर्किटों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, और आशा है कि वर्ष 2003–04 में इस सम्बन्ध में वास्तविक विकास की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकेगी ।

107. मेरी सरकार द्वारा पर्यटन योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसर भी सृजित करने के उद्देश्य से वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का इस वर्ष में शुभारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत छोटी–छोटी मोटलनुमा पर्यटक आवासीय इकाईयों, रेस्टोरेन्ट, गैराजों, सूचना केन्द्रों, आदि की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है। इस वर्ष लगभग 200 इकाईयों का वित्त पोषण सम्भावित है। इसी क्रम में सरकार का विभिन्न स्थलों पर, और विशेषकर यात्रा मार्गों पर, साधना कुटीर/ध्यान केन्द्र नुमा इकाईयां स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त चिन्हित ग्रामों को पर्यटक ग्रामों के रूप में विकसित करने की भी योजना है, जिसके लिए ग्रामों के चिन्हीकरण एवं सम्भावित योजनाओं एवं क्रियाओं के विकास के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

108. उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में इको–टूरिज्म क्रियाओं की पर्याप्त सम्भावनाएं विद्यमान है। इसे दृष्टिगत रखते हुए अलग से इको–टूरिज्म नीति भी तैयार की जा रही है, और चूनाखान (नैनीताल) में वन विभाग द्वारा एक इको–टूरिज्म केन्द्र भी पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

109. उत्तरांचल के पर्यटन आकर्षणों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए गत वर्ष में उल्लेखनीय प्रयास किये गये हैं। इस हेतु वृहद स्तर पर पर्यटन सूचना एवं प्रचार सामग्री के

सृजन के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पर्यटन मेलों आदि में प्रतिभाग किया गया, और अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किये गये। दिनांक 22 से 24 फरवरी के मध्य एक विशाल पर्यटन कान्क्लेव का आयोजन मसूरी में किया गया। इसमें देश विदेश से 400 से अधिक पर्यटन से सम्बन्धित कम्पनियों एवं संगठनों, वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों, आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस प्रयोजन में राज्य के पर्यटन आकर्षणों के प्रदर्शन के अतिरिक्त रू. 1000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव, जिसमें लगभग 100 प्रस्ताव स्थानीय उद्यमियों के थे, भी प्रस्तुत किये गये।

110. उत्तरांचल की लोक कला, साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण, विकास एवं प्रसार हेतु कार्यवाही पर्यटन गतिविधियों के साथ समन्वय रखते हुए की जा रही है। विभिन्न पर्यटन मेलों आदि के माध्यम से राज्य की इस धरोहर का विस्तृत प्रसार किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर के लोक कलाकारों को काफी प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ है। राज्य के विभिन्न स्थानों पर होने वाले मुख्य मेलों को भी बढ़ावा देने की कार्यवाही की गयी है और यह प्रयास किया जा रहा है कि इन्हें सीधे पर्यटन गतिविधियों से भी जोड़ा जा सके। राज्य में स्थित विभिन्न हैरिटेज स्थलों के चिन्हीकरण की कार्यवाही इन्टैक के माध्यम से प्रारम्भ की जा चुकी है, ताकि इनका योजनाबद्ध ढंग से संरक्षण एवं विकास हो सके। इसके साथ-साथ राज्य में पूर्व से चिन्हित पुरातत्व स्थलों के विकास के सम्बन्ध में रू. 1.67 करोड़ की योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी गयी है।

111. जैसा माननीय सदस्य अवगत हैं वर्ष 2004 के प्रारम्भ में हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ मेला भी होना निश्चित है। इस हेतु, यथासम्भव, स्थायी प्रकृति की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए काफी पहले से कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है तथा माननीय नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति, निर्णय लेने, समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु गठित की गयी है। मेले से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू. 50 करोड़ की व्यवस्था की गयी थी और केन्द्र सरकार से भी विशेष सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष रू. 50 करोड़ की अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दे दी गयी है। राज्य सरकार और अधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। इस बीच एक पूर्णकालिक मेला अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है और स्थानीय स्तर पर भी विभिन्न समितियां मेले की व्यवस्थाओं एवं प्रबन्धन के सन्दर्भ में गठित की जा चुकी है।

112. राज्य के आर्थिक–सामाजिक ढांचे में महिलाओं की विशेष भूमिका एवं योगदान के दृष्टिगत विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को विशेष रूप से लाभान्वित करने, तथा महिला सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकता है। इसके सन्दर्भ में विभिन्न विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा की जा रही है ताकि महिलाओं को प्राप्त हो सकने वाले लाभों और उनमें महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए आवश्यक नीतिगत बिन्दु चिन्हित किये जा सकें, और एक निश्चित कार्य योजना गठित कर कार्यवाही की जा सके।

113. राज्य के गठन के समय समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के अन्तर्गत मात्र 54 विकास खण्ड आच्छादित थे। अब भारत सरकार द्वारा समस्त अवशेष विकास खण्डों के लिए परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है। इसके कम में विशेष अभियान चलाकर पूर्व से रिक्त तथा नये पदों के सापेक्ष इस वर्ष लगभग 1800 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति की जा चुकी है, और सभी केन्द्रों को कियाशील करने की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है। विश्व बैंक द्वारा आई.सी.डी.एस.–।।। परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इसके अन्तर्गत आवश्यक कार्य योजना गठित करके भारत सरकार को भेजी जा चुकी है।

114. महिला एवं बाल विकास योजना के अतिरिक्त राज्य में महिला सशक्तीकरण के लिए अनेक अन्य केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं यथा स्वयं सिद्धा परियोजना (11 विकास खण्डों में), स्वशक्ति परियोजना, किशोरी शक्ति परियोजना, बालिका समृद्धि योजना तथा "उदिश" प्रशिक्षण परियोजना कियान्वित की जा रही है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें आर्थिक लाभ की योजनाएं उपलब्ध कराने, सशक्तीकरण एवं प्रशिक्षण तथा बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं आर्थिक लाभ की योजनाएं संचालित की जा रही है।

115. मेरी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पहल करते हुए गरीबी रेखा के नीचे यापन कर रहे महिला मुखिया वाले परिवारों के लिए विशेष बीमा योजना लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु की दशा में रू. 50000 और अन्यथा मृत्यु की दशा में रू. 20000 की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

116. युवा पीढ़ी के हितार्थ खेलकूद कियाओं में विस्तार एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में 10 स्टेडियम निर्मित हैं, ऊधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी में स्टेडियम निर्माणाधीन हैं, बागेश्वर में

बहुउद्देशीय कीड़ा हाल के निर्माण का प्रस्ताव है, तथा अगस्तमुनि (रूद्रप्रयाग) में जनपद स्तरीय स्पोर्टस काम्पलैक्स के निर्माण हेतु रू. 50 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार की अपनी योजना तथा केन्द्र सरकार के सहयोग से स्टेडियमों के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। देहरादून में राज्य स्तरीय स्पोर्टस काम्पलैक्स की स्थापना के लिए लगभग रू. 5 करोड़ की योजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी है। राज्य सरकार द्वारा इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम/काम्पलैक्स के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक तौर पर पूर्व अनुमोदित योजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

117. प्रतिभावान एवं क्षमतावान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं में भाग लेने, व अन्य प्रकार से प्रोत्साहन दिये जाने हेतु कई कार्यक्रम चलाए गये हैं एवं विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया गया। देहरादून एवं हल्द्वानी में पूर्व से संचालित फुटबाल केन्द्रों के अतिरिक्त पिथौरागढ़ में आवासीय एथलेटिक्स छात्रावास एवं कोटद्वार में आवासीय बाक्सिंग छात्रावास खोले गये हैं। राज्य के सभी जनपदों में 98 प्रशिक्षण शिविर भी संचालित किये जा रहे हैं। खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कामनवैल्थ में स्वर्ण पदक विजेताओं श्री जसपाल राणा एवं अभिनव बिन्द्रा को रू. 2.50 लाख, एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी को रू. 1.5 लाख तथा राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

118. राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े हुए वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन की दिशा में राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक तथा महिलाओं के कल्याण एवं विकास की परियोजनाओं के संचालन के लिए राज्य में स्थापित बहु उद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से इस वर्ष 4281 लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक लाभ की योजनाओं के लिए ऋण एवं अनुदान के रूप में लगभग रू. 575 लाख की सहायता प्रदान की गयी है।

119. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए राज्य में इस समय क्रमशः 15 एव 5 आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। सामान्य रूप से इनकी स्थिति काफी चिन्ताजनक थी और अनेक विद्यालय सर्वथा अपर्याप्त किराये के अथवा अन्य भवनों में स्थापित

चल रहे थे। इस वर्ष जनपद देहरादून, पिथौरागढ़ एवं चमोली में स्थित 9 आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवन बनाने हेतु स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। इसी प्रकार कतिपय विद्यालयों में उपलब्ध सामग्री एवं सुविधाओं, यथा बर्तन, कम्बल, फर्नीचर आदि, के सुदृढ़ीकरण के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। काफी समय से ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों का भी अभाव बना हुआ है । अतः शिक्षकों के पदों को भरे जाने की कार्यवाही भी प्रारम्भ की जा चुकी है और आशा है कि इसे शीघ्र अंतिम रूप दे दिया जायेगा। राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी कार्यरत थे। इस वर्ष मालधनचौड़ एवं बागेश्वर में 2 अतिरिक्त संस्थानों की स्वीकृति दी गयी है और इनकी स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। वर्तमान संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने तथा सूचना तकनीकी आदि से सम्बन्धित नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की कार्यवाही भी की गयी है।

120. आदिम जनजाति समूह (जिसमें बुक्सा एवं राजि जातियां सम्मिलित हैं) तथा अन्य अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए केन्द्र सरकार से क्रमशः रू. 75 लाख एवं रू. 50 लाख की स्वीकृति प्राप्त की गयी। इसके सापेक्ष आवासों, निजी शौचालयों तथा मिलन एवं प्रशिक्षण/उत्पादन केन्द्रों, आदि, के निर्माण के कार्य कराये जा रहे हैं।

121. अभी तक राज्य में केवल एक समेकित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए पृथक पृथक आयोग गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

122. राज्य में अल्प संख्यक आयोग की व्यवस्था पूर्व में की गयी थी। इसकी सदस्यता में वृद्धि करते हुए आयोग को यथाशीघ्र गठित करने की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के विभाजन एवं आस्तियों एवं दायित्वों के हस्तान्तरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ विचार विमर्श के उपरान्त सहमति हो चुकी है और आशा है कि यथाशीघ्र इस पर केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त हो जायेगी। इसी प्रकार हज कमेटी का गठन भी किया जा चुका है और पूर्व में की गयी घोषणा के क्रम में "हज हाउस" के निर्माण के लिए भूमि के चिन्हीकरण की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण होने के बाद वर्ष 2003–04 में इसके निर्माण पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

123. उत्तरांचल के सन्दर्भ में सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की बड़ी संख्या एवं महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत पूर्व में की गयी घोषणा के कम में सैनिक कल्याण निदेशालय की स्थापना एवं पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति तथा जिला स्तर पर रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्तियों की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, और राज्य में सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद का गठन भी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन पूर्व सैनिक कल्याण निधियों का बंटवारा हो चुका है तथा जनपद ऊधमसिंह नगर में पत्थरचट्टा फार्म की आस्तियां भी राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी हैं।

124. गत वर्षों में जहां, एक ओर, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण विभिन्न नागरीय सुविधाओं पर दवाब भी बढ़ा है, वहीं नागरीय क्षेत्रों में अवस्थापना विकास आदि के सम्बन्ध में पर्याप्त निवेश की कमी रही है। साथ ही बढ़ती जनसंख्या के कम में कूड़ा निस्तारण, प्रदूषण, मार्ग निर्माण, यातायात आदि से सम्बन्धित समस्याओं में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन का विषय भी, यहां के पर्यावरणीय परिवेश में, विशेष महत्व रखता है, और इस दिशा में भी पिछले वर्षों में वांछित कार्यवाही नहीं हो पायी है। 74वें संविधान संशोधन के बाद नगर निकायों को वित्त पोषण मुख्यतः राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा संस्तुत डेवोल्यूशन (devolution) के रूप में ही सम्भव है। इन मदों में इस वर्ष कमशः रू. 55.37 करोड़ एवं रू. 4.75 करोड़ नगर निकायों को उपलब्ध कराये गये हैं। किन्तु यह अनुभव किया गया नगर निकायों द्वारा अपने संसाधन जुटाने में विभिन्न कारणोवश उत्सुकता प्रदर्शित नहीं की गयी है। फलस्वरूप वेतन भुगतान एवं न्यूनतम सामान्य अनुरक्षण को छोड़कर विकास एवं जन सुविधाओं में सुधार की दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने गत 2–3 वर्षों में नगर निकायों को ऋण के तौर पर "रिवाल्विंग फण्ड" के रूप में भी धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था, और इस वर्ष, वर्ष 2001–02 के लिए प्राविधानित धनराशि सम्मिलित करते हुए रू. 20 करोड़ नगर निकायों को उपलब्ध कराये गये हैं। किन्तु यह अनुभव किया जा रहा है कि यह व्यवस्था भी मात्र अनुपूरक वित्त पोषण के रूप में ही देखी जा रही है, न कि इसकी मूल अवधारणा के अनुरूप एक विकास निधि के रूप में।

125. इस पृष्ठभूमि में मेरी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं :

* नगर पालिका एवं नगर निगम अधिनियमों में कुछ संशोधन किये जा चुके है तथा इनमें और व्यापक संशोधन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

* नगर एवं क्षेत्र नियोजन से सम्बन्धित एक नये अधिनियम के गठन के प्रस्ताव पर भी इसी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। इस बीच राज्य एवं जनपद स्तरों पर विकास प्राधिकरण स्थापित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जा चुका है।

* राज्य सरकार द्वारा सभी नगरीय क्षेत्रों के लिए रिमोट सैंसिंग एवं जी.आई.एस. प्रणाली के आधार पर विस्तृत मानचित्रीकरण कराने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, जिसका उपयोग नगरों में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना से सम्बन्धित नियोजन, निर्माण एवं अनुश्रवण कियाओं में किए जाने के साथ साथ सम्पत्तियों के मानचित्रीकरण एवं कर आरोपण के लिये किया जायेगा।

* नगर निकायों में वित्तीय प्रबन्धन में मूलभूत सुधार लाये जाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

* राज्य वित्त आयोग की निकायों को वित्तीय दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनाने विषयक संस्तुतियों पर विचार हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

* विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में ठोस एवं मेडिकल अवशेष निस्तारण (Solid/Medical Waste Disposal) के लिए विस्तृत परियोजनाएं गठित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। यथा सम्भव इस हेतु बाह्य श्रोतों से वित्त पोषण प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

* विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों के सुधार एवं नियंत्रण के लिए नीति बनायी जायेगी।

* विभिन्न नगरों, यथा देहरादून, आदि में निजी सैक्टर की सहभागिता से अवस्थापना एवं अन्य नागरिक सुविधाओं की स्थापना के लिए भी कई परियोजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं, और इस प्रकार की परियोजनाओं के चिन्हीकरण की कार्यवाही लगातार की जायेगी।

★ नगर नियोजन एवं शहरी अवस्थापना विकास के विषय पर विचार करने हेतु मंत्री परिषद की समिति का गठन किया गया है।

★ इसी कम में नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए एक अवस्थापना निधि स्थापित किये जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

126. नये प्रदेश के गठन के कम में बढ़ती हुई चुनौतियों, तथा पुनर्गठन के सन्दर्भ में पूरा ढॉचा न होते हुए भी, प्रदेश में सुचारू शांति व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। यह सन्तोष का विषय है कि सीमित संसाधनों के साथ इस वर्ष लोकसभा चुनावों के बाद विधान सभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव तथा पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न किया जा सका। भारत नेपाल सीमा पर भी लगातार चौकसी रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि सीमा पार सकिय माओवादी गतिविधियों का कोई कुप्रभाव राज्य के क्षेत्र में न पड़े। प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर चौकियों को थानों के रूप में उच्चीकृत करने व नये थानों/चौकियों की स्थापना की कार्यवाही भी की गयी है। राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में लगभग 6000 होम गार्ड्स स्वयं सेवकों की सेवायें भी ली जा रही है। इसके दृष्टिगत रू. 10 लाख के होम गार्ड्स कल्याण कोष की स्थापना की गयी है तथा जोखिम भरी ड्यूटियों में लगे स्वयं सेवकों के लिए बीमा योजना भी लागू की जा रही है।

127. पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र की योजना के अन्तर्गत रू. 40.74 करोड़ (50:50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं राज्यांश) की स्वीकृति प्राप्त की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत तीव्र गति से कार्य कराने हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं। फलस्वरूप गत 2 वर्षों में अवमुक्त की गयी लगभग रू. 11.49 करोड़ की धनराशि के विपरीत इस वर्ष रू. 18.85 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। इस योजना में पुलिस बल के लिए आवासीय व्यवस्था, वाहन, उपकरणों तथा विभिन्न प्रकार की विशिष्ट आवश्यकताओं, यथा स्वांग दल, बम डिस्पोजल स्क्वाड आदि की स्थापना के लिए कार्यवाही की जा रही है।

128. उत्तरांचल की पुलिस व्यवस्था में राजस्व पुलिस का भी अपना एक विशेष स्थान है। अतः इसके सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की जा रही है, जिसमें पुलिस चौकियों के निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के संचार उपकरणों तथा वाहनों

की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु, इस वर्ष केन्द्र सरकार से पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत रू. 7.89 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

129. राज्य में कारागार व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में भी इस वर्ष विशेष प्रयास किये गये हैं। कारागारों के आधुनिकीकरण एवं नये कारागारों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को रू. 48.25 करोड़ की परियोजना भेजी गयी थी, जिसके अन्तर्गत देहरादून, पिथौरागढ, ऊधमसिंह नगर, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत एवं उत्तरकाशी में नई जेलों, राज्य में केन्द्रीय कारागार की स्थापना एवं चमोली, पौड़ी तथा हरिद्वार, आदि में जेलों की क्षमता के विकास एवं आधुनिकीकरण के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। इस वर्ष इस योजना में केन्द्र सरकार से रू. 4.54 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

130. उत्तरांचल राज्य दैवी आपदाओं की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा आपदाओं के न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन की समेकित व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय आपदा प्रबन्धन मंत्री जी की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण केन्द्र का गठन किया गया है, और तत्सम्बन्धी संस्थागत ढांचे का भी अनुमोदन किया जा चुका है। केन्द्र के अधीन भू-गर्भिक, पर्यावरणीय, अभियांत्रिकी एवं अन्य महत्पूर्ण अवयवों की व्यवस्था के साथ-साथ, जी.आई.एस. प्रणाली का उपयोग एवं सामाजिक तथा आर्थिक विशेषज्ञों का सहयोग लिया जायेगा इसी क्रम में समस्त जनपदों के लिए आपदा प्रबन्धन योजनाएं गठित की जा चुकी हैं और संवेदनशील ग्रामों का चिन्हीकरण करते हुए, उनके लिए भी आपदा प्रबन्धन योजनाओं के गठन तथा प्रशिक्षण आदि की कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में की गयी घोषणा के क्रम मे मुख्यमंत्री राहत आपदा कोष की स्थापना भी की जा चुकी है।

131. इसके अतिरिक्त आपदा राहत निधि से संबंधित केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों में उत्तरांचल की विशिष्ट परिस्थितियों के सन्दर्भ में आवश्यक संशोधनों के लिए केन्द्र सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य मुख्यतः बादल फटने व बाढ़ से होने वाले नुकसान, तथा क्षतिग्रस्त नहरों से संबंधित कार्यों एवं विशिष्ट प्रकृति के उपकरणों की व्यवस्था निधि के माध्यम से कर सकने से संबंधित है।

132. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण योजनाएं, अर्थात गरीबी रेखा के नीचे यापन कर रहे परिवारों के लिए खाद्यान्न

उपलब्ध कराने की योजना, निर्धनतम परिवारों के लिए अन्तयोदय योजना तथा गरीबी रेखा के नीचे रह रहे बेसहारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए अन्नपूर्णा योजना क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं का निकट अनुश्रवण किया जा रहा है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार खाद्यान्न सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न अन्य योजनाओं के साथ साथ इनके विषय में आवश्यक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है ताकि लाभार्थियों को भी इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके। किसानों से उचित मूल्य पर गेहू एवं धान की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थायें एवं प्रबन्ध सुनिश्चित करते हुए रबी में 1.60 लाख मैट्रिक टन गेहू तथा खरीफ में अब तक 1.83 लाख मैट्रिक टन चावल का कय लेवी योजना के अन्तर्गत किया गया है।

133. मेरी सरकार का यह मानना है कि विभिन्न प्रकार की राजकीय एवं विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सन्दर्भ में मीडिया की अति महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान है। अतः लगातार विभिन्न स्तरों पर मीडिया के साथ संवाद सुनिश्चित करने के प्रयास किये गये है। संस्थागत व्यवस्थाओं के रूप में मान्यता समिति तथा विज्ञापन मान्यता समिति का गठन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पत्रकार कल्याण निधि स्थापित की जा चुकी है और उनके लिए यथोचित बीमा योजना तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाये जाने पर सकिय रूप से विचार किया जा रहा है। मीडिया की गतिविधियों के सुचारू संचालन के सन्दर्भ में प्रेस क्लबों के लिए यथोचित सहायता उलपब्ध कराये जाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

134. विधान सभा के सम्मानित सदस्यगण, लगभग दो वर्ष पॉच माह पूर्व हमारे देश की महान संसद ने, तथा उसके पहले उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने, उत्तरांचल की महान जनता की आकांक्षाओं एवं भावनाओं का समादर करते हुए उत्तरांचल राज्य के सृजन का मार्ग प्रशस्त किया था। 21वीं सदी के प्रारम्भ में उन सभी उदात्त भावनाओं को बिना किसी भेदभाव के, सामूहिक रूप से, एवं लोकतांत्रिक मर्यादानुकूल कार्यान्वित, करने के दायित्व का निर्वहन करना है। राज्य के सर्वांगीण, चहुंमुखी विकास के कदम इस प्रकार बढ़ाने हैं, जिससे कि हमारा नवोदित प्रदेश महान राष्ट्र के एक अंग के रूप में प्रजातांत्रिक माध्यम से विकास की तेज गति को सुनिश्चित करे तथा नागाधिराज हिमालय की चोटियों तथा गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा की घाटियों में समाहित प्रदेश की गरीबी, बेकारी और पिछड़ेपन के अभिशाप से मुक्ति

के राष्ट्रीय प्रयास में हम अन्य राज्यों के साथ–साथ भागीदारी निर्वहन के अपने नैतिक एवं ऐतिहासिक कर्तव्य का पालन करेंगे। कवि शिरोमणि रामकृष्ण बेनीपुरी की उक्ति –

हम सागर यदि उलीच न सकें मगर,
आँखें की दो बूंदे हर लें।
हम पर्वत उठा सकें न मगर,
बोझे दो सिर के कम कर लें,

बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। को प्रत्येक नागरिक मिलकर साकार करने का प्रयास करें। इसी आह्वाहन के साथ आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि विधान सभा के अमूल्य समय का सदुपयोग, सभी नियत कार्यों को सम्पन्न कराने में, आपके नेतृत्व एवं सहयोग से सम्भव हो सकेगा, तथा माननीय सदस्यगण विधायी एवं संसदीय कार्यों के साथ साथ वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु लेखानुदान का पारण करेंगे।